



**भारत में नागरिक समाज संगठनों
के संदर्भ में स्थिरता (स्टेनोबिलिटी)
— एक अध्ययन रिपोर्ट**

भारत में नागरिक समाज संगठनों के संदर्भ में स्थिरता (स्टेनेबिलिटी)

— एक अध्ययन रिपोर्ट

दिसम्बर 2018

कॉपीराइट © वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया

इस पुस्तक की विषय वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से, प्रकाशक का आभार प्रकट करते हुए, पुनः प्रकाशित किया जा सकता है।

सहायता: सिविक इंजेजमेंट एलाएंस (सीईए)

हिन्दी अनुवाद: डॉ. यश चौहान

प्रकाशक:

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

वाणी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट, सैकटर-8, द्वारका,
नई दिल्ली 110 077

फोन: 011-40391661, 40391663

टेलिफौक्स: 011-49148610

ईमेल : info@vaniindia.org

वेबसाइट : www.vaniindia.org

डिजाईन एवम् मुद्रक :

प्रिंट वर्ल्ड # 9810185402

ईमेल : printworld96@gmail.com

भारत के नागरिक समाज संगठनों के संदर्भ में स्थिरता (स्टेनोबिलिटी)

— एक अध्ययन रिपोर्ट

विषय सूची

| | |
|--|----|
| आमुख | 04 |
| प्रस्तावना | 05 |
| अध्ययन का विषय क्षेत्र | 06 |
| पढ़ति | 06 |
| शोध-लक्ष्य | 06 |
| अध्याय 1: स्वैच्छिक क्षेत्र का विकास | 07 |
| अध्याय 2: स्वैच्छिक क्षेत्र की चुनौतियां | 11 |
| अध्याय 3: संस्थाओं की केस स्टडीज | 16 |
| आगे का रास्ता | 48 |
| निष्कर्ष | 50 |
| उन स्वैच्छिक संस्थाओं की सूची जिनसे परामर्श किया गया | 51 |
| संदर्भ | 52 |

आमुख

पिछले कुछ दशकों में भारत में स्वैच्छिक संस्थाओं का तेजी से विकास हुआ है। इसने समाज के सीमांतीकृत हिस्से के अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में संस्थाओं की बढ़ती संख्या के फलस्वरूप एक आम लोगों के बीच स्वैच्छिक क्षेत्र के बारे में एक परस्पर विरोधी समझ, आदर्शकारी अपेक्षाएं और भ्रामक विचार उभर कर समाने आये हैं यह देखा गया है कि स्वैच्छिक क्षेत्र सरकार के साथ घनिष्ठ रूप से मिलकर काम करता रहा है। पर पिछले कुछ दशकों में इस समीकरण में बदलाव आया है। सरकार के साथ बदले हुए संबंधों के साथ ही अब स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने अनेक चुनौतियां उपस्थित हो गई हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने उसके अपने अस्तित्व के मुद्दे खड़े हो गये हैं जो उसे तोड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। पारपंरिक अनुदानकर्ताओं के स्थान पर अब नये अनुदानकर्ता आ गये हैं जिसके लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को अपना विस्तार करने की पुनः स्पष्ट करने की जरूरत है। नागरिक समाज के संगठनों से यह भी अपेक्षित है कि वे उच्चतर स्तर की आंतरिक जवाबदेही, पारदर्शिता और कार्य-क्षमता अपनायेंगे। क्षमता निर्माण पर निवेश में जबर्दस्त कमी आई है।

आज हम देखते हैं कि कई स्वैच्छिक विकास संस्थाएं, परोपकारी संगठन, फाउंडेशंस, निगमित क्षेत्र के निकाय और व्यक्तिगत स्तर पर लोग विकास की कमियों को कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नागरिक समाज के कार्य के क्षेत्र में कमी आ रही है जिसकी वजह से इस क्षेत्र की संस्थाओं के स्थायित्व के सवाल खड़े हो गये हैं। संस्थाएं भूमंडलीय मोर्चे पर अलग-अलग रणनीतियां अपना रही हैं, अभी भी भारत में कुछ संस्थाएं हैं जो इन रणनीतियों और दृष्टिकोणों को अपना कर क्षेत्र में टिकी हुई हैं।

इस अध्ययन के अंतर्गत कुछ चुनी हुई ऐसी संस्थाओं को यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है जिन्होंने लम्बे समय तक इस क्षेत्र में बने रहने, क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थायित्व के प्रतिमानों को अपनाया है। इस अवसर पर मैं सिविक इंगेजमैट एलाएंस का इस अध्ययन में सहायता के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही मैं इस अध्ययन को लिखने और अंतिम रूप देने के लिए वाणी की सुश्री वंशिका भटनागर, प्रोग्राम ऑफिसर, को धन्यवपद देना चाहता हूं। हम महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने यह अध्ययन प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस क्षेत्र का लक्ष्य न केवल स्वैच्छिक क्षेत्र, बल्कि सरकार और समान्य लोग भी हैं।

हर्ष जेतली
मुख्यकार्यकारी अधिकारी

प्रस्तावना

स्वैच्छिक संस्थाएं सहभागितापूर्ण जनतंत्र को रूपायित और कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे विकास के लिए नवाचारपूर्ण और लागत-प्रभावी प्रतिमान प्रदान करती हैं। वे सामुदायिक कार्य के लिए लोगों को लामबंद करती हैं और समाज के सर्वाधिक सीमांतीकृत समूहों के लिए कार्य करती हैं और व्यापक स्तर पर देखें तो स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य से अनेक लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है और इस क्षेत्र को मान्यता प्राप्त हुई है। बदलते समय के साथ स्वैच्छिक संस्थाएं अब दो भिन्न पद्धतियों के कार्य करती हैं: एक प्रकार की पद्धति है समाज के निर्धन एवं सीमांतीकृत लोगों के लिए कार्य करना और दूसरी पद्धति सेवा प्रदायगी संस्थाओं के रूप में कार्य करता। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर ग्लोबल रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत में गैर सरकारी संस्थाओं को सबसे विश्वसनीय संस्थाएं माना जाता है। किन्तु संचार माध्यमों द्वारा इस क्षेत्र की नकारात्मक छवि प्रस्तुत किये जाने से आम आबादी के बीच गैर-सरकारी संस्थाओं पर विश्वास 2017 में 71 प्रतिशत से कम हो कर 2018 में 68 प्रतिशत देखा गया है (एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर ग्लोबल रिपोर्ट, 2018)।

स्वैच्छिक क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं का स्थायित्व एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। अनेक विद्वानों ने स्थायित्व या सस्टेनेबिलिटी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। स्थायित्व या सस्टेनेबिलिटी को "भविष्य की जरूरतों के प्रति समझौता न करते हुए आज सफलता उपलब्ध करने" (वेला 2013) के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में स्थायित्व को बदलाव न करते हुए विजन और मिशन हासिल करने के लिए संसाधनों के उपयोग करने की संस्था की क्षमता के रूप में देखा गया है। बाडरु और रेमस्टेड के अनुसार, मूल्यन, अभिशासन, पारदर्शिता और नैतिकता तथा साथ ही विविधता, सामाजिक दायित्व, मानव और कर्मचारी अधिकारों को सहायता तथा समुदाय में योगदान, पर्यावरण रक्षा जैसे लक्ष्य शामिल हैं। (जॉन डब्ल्यू बाडरु, 2005)।

पिछले कुछ दशकों में स्वैच्छिक क्षेत्र के स्थायित्व पर संवाद चल रहा है। वाणी ने किसी संस्था में स्थायित्व के महत्व को समझने के लिए बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इन बैठकों के माध्यम से व्यापक रूप से यह देखा गया है कि स्वैच्छिक संस्थाएं तेजी से बदलते विकास परिदृश्य के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हैं। संस्थाएं अपनी लेनदेन की लागतों को कम करने के तरीके और पद्धतियां तलाश करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

किन्तु क्षेत्र में कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने बदलते समय के साथ अपने में बदलाव लाया है। उन्होंने रुझानों के अनुरूप अपना विकास किया है और अपनी लेनदेन की लगत को कम करने के लिए रणनीतियां अपनाई हैं। क्योंकि भारतीय संदर्भ में स्थायित्व के दृष्टिकोणों पर कोई अध्ययन नहीं किये गये, इसलिए क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श और सघन परिचर्चा के बाद कुछ ऐसी संस्थाओं को जिन्होंने स्थायित्व की रणनीतियां अपनाई हैं। यह यात्रा का, केस स्टडीज के रूप में दस्तावेजीकरण किया गया है।

कार्य का दायरा

भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र में अनेक बदलाव आये हैं। पहले स्वैच्छिक कार्य को परोपकारिता के रूप में देखा जाता था, पर आज स्वैच्छिक क्षेत्र एक पूरी तरह से विकसित क्षेत्र है जिसमें शामिल हो कर लोग बड़े क्षेत्रों के साथ प्रतियोगिता करते हैं। सरकार और अनुदानकर्ताओं आदि द्वारा थोपी गई बाधाओं के साथ यह क्षेत्र टिके रहने के लिए जूझ रहा है। कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने आपको बदलते समय के अनुसार ढाला है और वे क्षेत्र में अपनी उपरिथिति बनाये रखने में सफल हुई हैं। इस अध्ययन में तीन अध्याय हैं। पहले अध्याय में भारत के संदर्भ में स्वैच्छिक क्षेत्र के विकास और समकालीन स्वैच्छिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरे अध्याय में बदलते समय के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा अध्याय देश के चुने हुए संगठनों की केस स्टडीज और दशकों तक क्षेत्र में बने रहने उनके कार्यों को उजागर करता है।

पद्धति

अध्ययन के लिए अपनाई गई विभिन्न विधियां

डेस्ट शोध: प्राथमिक शोध का कार्य विस्तृत अध्ययन और उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों के संकलन के माध्यम से किया गया।

सक्षात्कार: तेरह चुने हुए संगठनों के प्रमुखों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया।

रिपोर्ट में उल्लिखित संगठनों संबंधी आंकड़े व फोटो उनकी वेबसाइट्स से लिये गये हैं।

शोध के लक्ष्य

पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रतियोगिता बढ़ रही है। एक क्षेत्र होने के नाते जो अपने विकास और समाज के कल्याण के लिए जाना जाता है। वहां कई नियांमक के साथ-साथ संसाधनों की जटिलताएं भी हैं। हालांकि स्वैच्छिक क्षेत्र समाज के विकास के लिए कार्य करता है, पर गैर-लाभकारी संस्थाओं के प्रयास प्रकाश में नहीं आ पाते।

इन पाबंदियों के बावजूद स्वैच्छिक संस्थाएं काफी समय से इस क्षेत्र में अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह क्षेत्र बदलाव की स्थिति से गुजर रहा है, ऐसी कई संस्थाएं जो बदलावों के अनुसार अपने को ढाल नहीं पा रही हैं। भंग हो सकती हैं। पर इस क्षेत्र की कई संस्थाएं सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही हैं और वे अपने विजन और मिशन को लेकर समझौता नहीं करती हैं। वे विशेष रणनीतियां अपना कर अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहती हैं। इस अध्ययन में उन संस्थाओं की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है जो टिकाऊपन या स्थायित्व की रणनीतियां और दृष्टिकोण अपना कर मजबूती से खड़ी हैं। देश की कई संस्थाएं पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में बनी हुई हैं।

अध्याय 1

भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र का विकास

भारत में दान और सेवा की अवधारणा पर आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई का एक लम्बा इतिहास और परंपरा रही है। स्वैच्छिक कार्य की शुरुआत बीमार और जरूरतमंद तथा बेसहारा लोगों को सेवाएं प्रदान करने के परोपकारितापूर्ण कार्य के साथ हुई थी। स्वैच्छिक कार्य परोपकारिता, राहत, कल्याण, पुनर्वास और सामाजिक आर्थिक कार्यकलापों के रूप में मौजूद रहा है। संस्थाएं सांस्कृतिक उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक विपदा आदि के क्षेत्र में सक्रिय रहीं (बोर्ड 2009)¹। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के बीच कार्य किया। इसके साथ ही जन सेवा के लक्ष्य से देश के विभिन्न भागों में आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ने कार्य किया। परोपकारिता और समाज सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी ने चरखे, कुटीर उद्योगों² के विकास के माध्यम से समाज सेवा का कार्य किया। (एम कंदसामी एन.डी)। आजादी के बाद स्वैच्छिक क्षेत्र का ठोस रूप से विकास हुआ क्योंकि स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या बढ़ती गई।

स्वैच्छिक क्षेत्र के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को निम्न चार क्षेत्रों के माध्यम से समझा जा सकता है:

- 1) स्वतंत्रता – पूर्व के समय में स्वैच्छिक कार्य
- 2) स्वतंत्रता के बाद के समय में (1970 के दशक तक) स्वैच्छिक प्रयास
- 3) विकास क्षेत्र में प्रयास (1980 से 1990 तक का दशक)
- 4) समकालीन स्वैच्छिकवाद का युग (1990 के बाद का दशक)

¹ बोर्ड एशियन डिवलेपमेंट "भारत की नागरिक समाज संस्थाओं पर एक नजर 2009

² डॉ. एम. कन्दसामी, भारत और विश्व में अलाभकारी संस्थाएं

प्राचीन और मध्यकालीन युग में स्वैच्छिक आधार पर परोपकारिता का कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में स्वच्छ रूप से किया जाता रहा। प्रारंभिक दौर में स्वैच्छिक प्रयासों का दायरा सीमित था। इतिहास यह बताता है कि जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता समुदाय और शासकों द्वारा मिलकर की जाती थी।

स्वतंत्रता—पूर्व के समय में स्वैच्छिक कार्य

अठारहवीं सदी के अंत में पश्चिमी विचारों और ईसाई धर्ममत के अस्तित्व में आने से भारत में धार्मिक और समाज सुधार आंदोलनों का व्यापक रूप से प्रसार हुआ। कई धार्मिक सुधारों के अंतर्गत बाल विवाह, सती, विधवा विवाह निषेध जैसे सामाजिक मुद्दों को लेकर संघर्ष चलाया गया। इन सामाजिक बुराइयों से निबटने के लिए ब्रह्मों समाज, धर्म समाज आदि जैसी सामाजिक संस्थाओं की स्थापना हुई। पश्चिमी शिक्षा के लागू किये जाने से लोगों को आधुनिक विचार अपनाने हेतु प्रभावित किया और इससे लोगों को सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लोगों को लामबंद करने में मदद मिली। सुधार आंदोलनों द्वारा जगाई गई भावना ने स्वैच्छिक संस्थानों को समाज के सीमांतीकृत तबकों के अधिकारों के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

बीसवीं सदी के दूसरे दशक में गांधी युग की शुरुआत हुई। गांधी जी ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का प्रचार किया। उन्होंने स्वैच्छिक कार्य को एक नया बल प्रदान किया। उन्होंने अहिंसा, न्याय और स्वतंत्रता के विचारों को प्रोन्नत किया। गांधी जी ने 1922 में रचनात्मक कार्य की शुरुआत की जिसके अंतर्गत ग्रामीण हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

चित्र 1

भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र का विकास

1990 के बाद: सरकार और गैर-सरकारी संगठन साझेदारी को बल मिला; संस्थाओं ने अपना ध्यान स्वयं सहायता संगठन, सूक्ष्म वित्त, अजीविका और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी पर केंद्रित किया। स्वैच्छिक क्षेत्र की मांग जावबदेही के मुद्दों को शामिल करते हुए बढ़ने लगी।

1970-1990: नागरिक समाज का कार्य क्षेत्र बढ़ने लगा; जन-सहभागिता के साथ विकास के नये प्रतिमान विकसित किये जाने लगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वन संरक्षण, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में व्यापक कार्यक्रम आरंभ किये गये। क्षमता-निर्माण का कार्य शुरू किया गया और प्रबंधन तथा अभिशासन पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा।

1950-70: सामाजिक कल्याण और सरकार द्वारा वित्त-पोषित तथा प्रबंधित गैर-सरकारी संगठन। पंचवर्षीय विकास योजनाओं की शुरुआत की गई; विकास काय कार्य गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंपा गया, किन्तु क्षमता-निर्माण का कार्य नहीं हुआ।

स्वतंत्रता से पूर्व: स्वतंत्र आंदोलन के साथ सामाजिक कल्याण और निर्माणात्मक कार्य किया गया।

स्वतंत्रता के बाद युग के दौरान स्वैच्छिकता (1970 का दशक)

स्वतंत्रता के बाद, सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट हुए और समाज के लिए विकास तथा कल्याण का कार्य जारी रखा गया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण आदि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत की। सरकार ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत समाज कल्याण योजनाएं आरंभ कीं। विकास संबंधी कार्य गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंपा गया। वर्ष 1970 के आसपास सामुदायिक संगठनों को मान्यता प्राप्त हुई। उदार विदेशी निधिदान के साथ निर्धनता पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्य समूहों की संख्या बढ़ी और उन्होंने अपने आपको प्रमुख संस्थाओं के रूप में स्थापित किया। 1970 के दशक के दौरान विकास में जन भागीदारी के विचार उभर कर सामने आये। हालांकि समुदाय को लामबंद करना एक विचार के रूप में रहा, पर समुदायों का क्षमता निर्माण नहीं किया गया।

विकास क्षेत्र में प्रयासों का दौर (1980 से 1990 का दशक)

1980 और 1990 के दशक के दौरान, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय अनुदानकर्ता संस्थाओं द्वारा मान्यता और सहायता के साथ ही संस्थाओं ने विकास परियोजनाओं में जन भागीदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। भारत में स्वैच्छिकवाद तीव्र क्रांतिकारी बदलावों से गुजरा है और स्वैच्छिक क्षेत्र नागरिक समाज का तीसरा क्षेत्र बन गया। अब पेशेवर कार्य के विस्तार के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं में विविधता आई है और यह क्षेत्र कल्याण और विकास के क्षेत्रों में और बड़ी भूमिका निभाने लगा है। स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों के साथ अब यह क्षेत्र स्वच्छता, वनन, महिला एवं बाल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक कार्यक्रम चलाने लगा है। इस दौर में नागरिक समाज के कार्य का स्थान बढ़ा और नये प्रतिमान सामने आये। यह क्षेत्र अब समुदाय के क्षमता निर्माण की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने लगा है। अब स्वैच्छिक संस्थाएं प्रबंधन और अभिशासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगी हैं।

समकालीन स्वैच्छिकवाद का दौर (1990 के दशक के बाद)

वर्तमान युग में स्वैच्छिक क्षेत्र ने विकास हासिल किया। बदलते रुझानों के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र में भी बदलाव आ रहे हैं। गैर-सरकारी संस्थाओं को हमेशा ही समाज के कल्याण के क्षेत्र के रूप में देखा जाता रहा है। 1990 के दशक के बाद स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या काफी बढ़ी जो सूक्ष्म वित्त, आजीविका आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने लगीं। इस दौर में सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच साझेदारी को बल मिला। जैसे-जैसे संस्थाओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे-वैसे संस्थाओं के बीच प्रतियोगिता भी बढ़ती चली गई। लेकिन समय के साथ सरकार ने नागरिक समाज के स्थान को संकुचित कर दिया और स्वैच्छिक संस्था के कार्य पर कई प्रतिबंध लगाए। विदेशी अनुदान नियमन कानून (एफसीआरए) को लागू करने के साथ भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव आया। संस्थाओं के बीच निधियों (फंडिंग) को लेकर प्रतियोगिता शुरू हुई। अब तो सरकारी अनुदान भी न्यूनतम टर्नओवर के आधार पर प्रदान किये जाते हैं। इस बदलाव के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और एकता कम

हुई। संस्थाएं प्रतियोगिता करने के लिए व्यक्तिपरक दृष्टिकोण अपनाने की ओर उन्मुख हुई। जब क्षेत्र ने व्यक्तिपरक दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया तो संस्थाएं स्वैच्छिक क्षेत्र की छवि को पीछे छोड़ अपनी छवि विज्ञपित करने में लग गई। अब जवाबदेही के मुद्दे उठाये जा रहे हैं और संस्थाओं को विश्वसनीय संस्था के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रबंधन एवं अभिशासन पर कार्य करना पड़ा।

निगमित सामजिक दायित्व (सीएसआर) के लागू किये जाने के साथ अब कई संस्थाएं केवल क्षेत्र में बने रहने के उद्देश्य से कार्य कर रही हैं। क्योंकि कई संस्थाओं को अनुदान प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वे बने रहने और निधियां प्राप्त करने के लिए सीएसआर के अंतर्गत कोई भी परियोजना हाथ में ले लेती हैं। इस समकालीन स्वैच्छिक क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती मानव संसाधनों की है। पहले इस क्षेत्र में लोग समाज के बदलाव लाने की उत्कृष्ट भावना के साथ शामिल होते थे। अब संस्थाएं उच्च वेतन से आकर्षित करके बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों से पेशेवर कर्मियों को काम पर रख रही हैं।

भारत में स्वैच्छिकतावाद कोई नई बात नहीं थी क्योंकि यहां परोपकारी कार्य की परंपरा रही है शुरू में इस क्षेत्र में लोग समाज में बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ शामिल हुए। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आज यह क्षेत्र विकसित हो रहा है। पहले जहां यह क्षेत्र परोपकारिता और लोगों की भलाई के लिए जाना जाता था, वहां आज इस क्षेत्र को नाकारात्मक रूप से चित्रित किया जा रहा है। यह बताया जाता है कि गैर-सरकारी संस्थाएं निधियों का दुरुपयोग करती हैं और समाज के विकास और कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया गया है। शुरू में सरकार अपना योगदान करने में इस क्षेत्र की सहायता करती थी, पर अब वह अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा कर इस क्षेत्र को नियंत्रित करती है। यह कहा जाता है कि हर गुजराते वर्ष के साथ नागरिक समाज का स्थान संकुचित हो रहा है। लोग स्वैच्छिक कार्य के क्षेत्र से बाहर आ रहे हैं; और संस्थाएं ऐसे दबाव वाले वातावरण में काम नहीं कर पा रही हैं जहां हर कदम पर संस्थाओं को अपनी विश्वसनीयता और अस्तित्व साबित करना पड़ रहा है। विकास के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र को अनेक पाबंदियों और चुनौतियों से निवटना पड़ रहा है। अगले अध्याय में स्वैच्छिक क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा की जायेगी।

अध्याय 2


भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की चुनौतियां

भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र ने विभिन्न मुद्दों का सामना किया है। वाणी ने भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की हैं और क्षेत्र के बदलते रुझानों को समझने के लिए विशेषज्ञों के साथ बैठकें और विचार-विमर्श आयोजित किये हैं। यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उन स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या बढ़ी है जो तीव्र बदलावों से निबटने का प्रयास कर रही है। (वाणी, 2013)।

उदारीकरण के बाद (1991 के बाद) इस क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है जिसने और अधिक चुनौतियों को जन्म दिया है। इन वर्षों के दौरान यह देखा गया कि बहुत सारी संस्थाएं एक ही क्षेत्र में – जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, आदि पर कार्य कर रही थीं।

चित्र 2

उदारीकरण के बाद उभार



इंडियन एक्सप्रैस में 01 अगस्त 2015 को प्रकाशित एक लेख में यह कहा गया कि भारत में 31 लाख गैर-सरकारी संस्थाएं हैं। यह संख्या भारत में मौजूद स्कूलों से दुगुनी है। दि हिन्दू में 27 जुलाई 2017 को प्रकाशित एक लेख में नागरिक समाज के संकुचित होते स्थान की चर्चा की गई और यह कहा गया कि नागरिक समाज के संगठनों ने प्रधान मंत्री कार्यालय को खुला पत्र भेजा है जिसमें रुकी हुई निधियों, नागरिक समाज संगठनों को तुच्छ संस्थाओं के रूप में प्रस्तुत करने वाली रिपोर्टों का उल्लेख किया गया है। स्वैच्छिक क्षेत्र पर कड़ी नजर रखी गई है और अनेक अनुदानकर्ता संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने में असमर्थ किया गया है। अनेक संस्थाएं सभी क्षेत्रों में कार्य करने के अलावा अभिशासन और नीति को लेकर भी कार्य कर रही हैं।

1) अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों (INGOs) की वैधता स्थानीय : गैर-सरकारी संस्थाओं का मानना है। कि इस क्षेत्र में बड़ी संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाएं अनुदान इसलिए प्राप्त कर पाती हैं क्योंकि क्षेत्र में इन संस्थाओं का नाम है। यह अरोप लगाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाएं सरकार और समुदाय के सदस्यों को भागीदारी करने हेतु भुगतान करती हैं और स्थानीय कर्मिकों को आकर्षित करने के लिए उच्च वेतन देती हैं। (डी प्रभाकर, 2014)³। जहां स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाएं समाज के जरूरतमंद हिस्सों के विकास के लिए ईमानदारी से काम करती हैं, वहीं वे अभी भी अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाओं से पीछे हैं। इस प्रकार छोटी और स्थानीय संस्थाओं के लिए क्षेत्र में लम्बे समय तक टिके रहना कठिन होता जा रहा है।

2. स्वैच्छिक संस्थाओं का संकुचित होता स्थान: भारत की मजबूती के लिए यह आवश्यक है सरकार और नागरिक समाज के संगठन विकास हेतु सहयोगपूर्ण रूप से कार्य करें (अभियान, 2018)⁴। यह वक्तव्य सकल घरेलू उत्पाद और मानव विकास सूचकांक पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया था। यह माना जाता है कि विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच सहयोग जरूरी है। आरंभ में सरकार समाज में विकास और कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए पहलकदमी कर रही थी। किन्तु यह कहते हुए कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास-विरोधी है जारी की गई इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की रिपोर्ट के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र की छवि पर धब्बा लगा। नागरिक समाज के संगठनों के अनुसार सरकार द्वारा दो जनतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है: एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा है संस्था बनाने का अधिकार। 20 जुलाई 2017 को दि हिन्दू में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणात्मक नागरिक समाज संगठनों से परामर्श किये बिना की जाती है।

3 करिश्माती नेतृत्व की दुविधा: स्वैच्छिक संस्थाओं के नेतृत्व में एकाधिकार का रुझान बढ़ रहा है। जो एक व्यक्ति की एक संस्था का अध्यक्ष, दूसरी संस्था का सचिव और तीसरी संस्था का कोषाध्यक्ष होने के रूप में

³ Voluntary Organisation And Its Challenges In India; JMCSR Vol.2/Issue 3/Pg 567-581/ March 2014

⁴ Promises and Reality: A Civil Society Initiative by Wada Na Todo Abhiyan/ 2018

देखा जा सकता है। यहां जो समस्या और चुनौती मौजूद है वह यह है कि नई पीढ़ी को संस्था और उसके नेतृत्व में नहीं आने दिया जा रहा है। (के.एल. प्रभाकर 2011)⁵। करिशमाती व्यक्ति का संस्था के लक्ष्यों को हासिल करने की दृष्टि से प्रभाव पड़ता है। विजन और मिशन के माध्यम से करिशमाती नेतृत्व देखने में आता है। इन करिशमाती नेताओं के नेतृत्व वाली संस्थाएं ऊपर हैं और उन्हें अलग-अलग रूपों में लाभ प्राप्त होते हैं।

4. मानव संसाधनों का अभाव: किसी भी संस्था में मानव स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र के अस्तित्व में आने के समय से ही मानव संसाधनों को इस चुनौती का सामना कुछ ज्यादा करना पड़ता है। यह पाया गया है कि कई स्वैच्छिक संस्थाएं पेशेवर लोगों को काम पर रखती हैं। स्वैच्छिकतावाद की भावना का अभाव नजर आता है। लोग अधिक समय तक संस्था के साथ नहीं रहते क्योंकि उन्हें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। इस बाधा का संबंध बड़ी संस्थाओं के वैधता से है। जैसा कि कहा जा चुका है, बड़ी संस्थाएं उच्च वेतन का भुगतान करके कर्मचारियों को आकर्षित करती हैं। जो भी कार्य-क्षम कर्मचारी हैं वे छोटी संस्था के बजाये बड़ी संस्था में शामिल होना पसंद करेंगे। इससे छोटी और स्थानीय संस्थाओं में मानव संसाधनों और कौशलों का अभाव पैदा होगा। कुशल कर्मचारियों और कौशलों के अभाव से अनुदान के लिए प्रपोजल तैयार करने का कार्य ढंग से नहीं हो पायेगा जिसके फलस्वरूप आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। जब संस्था के पास निधियां ही नहीं होंगी तो उसमें कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने की क्षमता भी नहीं होगी। इस प्रकार स्वैच्छिक क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म एक नई चुनौती है।


5. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की बाधाएं : भारत सरकार ने सीएसआर की शुरुआत परोपकारी कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए और साथ जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की। सीएसआर कानून के अंतर्गत कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ के दो प्रतिशत को सीएसआर कार्यकलापों के लिए अलग से निर्धारित करना पड़ता है। निजी अनुदान को या तो सांस्कृतिक या धार्मिक दान के रूप में देखा जाता है। नागरिक समाज के अनुसार सीएसआर के दो घटक हैं: पहले तो यह कि इससे खुद सीएसआर वाली कंपनी लाभान्वित होती है; और दूसरे यह कि सीएसआर के अंतर्गत अल्पकालिक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ये दीर्घकालिक हस्तक्षेप नहीं होते।

हम देख सकते हैं कि अधिकतर कंपनियां (34 प्रतिशत) अपनी फाउंडेशनों और ट्रस्टों के माध्यम से काम करती हैं। एक बदलता रुझान यह है कि निगमित कंपनियां अपनी सीएसआर निधियों का उपयोग अपनी फाउंडेशनों और ट्रस्टों के माध्यम से करती हैं। इससे समस्याएं खड़ी होती हैं क्योंकि छोटी और जरूरतमंद संस्थाओं को वे निधियां प्राप्त नहीं हो पातीं जो उन्हें प्राप्त होनी चाहिए।

⁵ NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS: PROBLEMS & REMEDIES IN INDIA; Kakumani Lavanya Lathaa and Kotte Prabhakar/Serbian Journal of Management 6 (1) (2011) 109 - 121

चित्र 3

सबसे बड़ी 300 फर्मों द्वारा अपनाई गई सीएसआर कार्यन्वयन पद्धतियां



स्रोत : भारत में निगमित क्षेत्र सामाजिक दायित्व व्यय का विश्लेषण, Vol. 49 ईपीडब्ल्यू अंक 50(2014)

केवल 30 प्रतिशत फर्म ही सीएसआर कार्यकलापों के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करती हैं। इस तरह स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। जो फर्म सीएसआर कार्यकलापों के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करती हैं वे ऐसी संस्थाओं का चुनाव करती हैं जिनकी "ब्रैंड इमेज" हो या कहिये कि जिनका बड़ा नाम हो। जैसा कि कई संस्थाओं का कहना है, सीएसआर फंडिंग की शर्त कठोर हैं। संस्था को मूल लागत नहीं दी जाती⁶ तथा फर्म कई प्रतिबंध लगाती हैं।

इस प्रकार अधिकतर संस्थाओं के विचार से फर्म, सीएसआर कार्यकलापों में योगदान केवल अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर के अंश को दिखाने के लिए करती हैं। वे इस पहलकदमी की जरूरत और महत्व को नहीं समझतीं। वे रुझानों का पालन करती हैं और समाज की जरूरतों पर कम ध्यान देतीं। उदाहरण के लिए, इस समय शौचालय निर्माण का रुझान चल रहा है, वे सीएसआर निधि को इस परियोजना में लगायेंगी – इस बात को जाने-समझे बगैर कि उस क्षेत्र में शौचालय बनाने की जरूरत है या नहीं है।

6) निधियों (फंडिंग) में बाधाएं: फंडिंग या निधिदान को तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: विदेशी; सरकारी और निजी फंडिंग। स्वैच्छिक क्षेत्र इस समय फंडिंग की समस्याओं का सामना कर रहा है। पिछले समय में स्वैच्छिक संस्थाएं विदेशी फंडिंग पर निर्भर होती थीं। पर नये एफसीआरए कानून के अस्तित्व में

⁶ The overhead costs of an organisation, as opposed to those specific to a project. Example: general management staff, IT equipment and training, fundraising and governance.

आने के बाद स्थिति में बदलाव आया है। आम सोच यह है कि फॉरिन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, 2010 यानी विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम के आने के साथ भारत में गैर लाभकारी संस्थाओं (एनजीओज) की विदेशी फंडिंग में वृद्धि हुई है। पर गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014–15 वह वर्ष था जब भारत को निम्नतम विदेशी फंडिंग⁷ प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि गैर-सरकारी संस्थाओं को प्राप्त होने वाली निधियों में गिरावट आई है। जहां 2015–16 में ये निधियां 17,773 करोड़ रुपये थीं, वहां 2016–17 में उनमें गिरावट आई और वे अब 6,499 करोड़ रह गई (अभियान, 2018)⁸। स्वैच्छिक क्षेत्र में इससे स्वैच्छिक क्षेत्र नीति 2007 के लक्ष्य को हासिल करने में कमी आई है। यह लक्ष्य है स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत और विदेश से आवश्यक वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में सक्षम बनाना (मैथ्यू चेरियन)⁹। यह माना जाता है कि सरकारी फंडिंग में भ्रष्टाचार है और पिछले 25 वर्षों से सरकारी फंडिंग के स्वरूप में बदलाव नहीं आया है।

समकालीन दौर में स्वैच्छिक क्षेत्र इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्वैच्छिक क्षेत्र पर सरकार के प्रतिबंधन और नियंत्रण के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक अनिश्चित वातावरण में काम करना कठिन हो गया है। पहले नागरिक समाज को स्वीकार्यता प्राप्त थी क्योंकि स्वैच्छिक संस्थाएं मुख्यतः सीमांतीकृत समाज के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती थीं। सरकार ने दिल्ली में एक विरोध स्थल के रूप में जंतर-मंतर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और प्रतिरोध का स्थान रामलीला मैदान को बना दिया है। रामलीला मैदान के उपयोग की फीस ही 50,000 रुपये थी और सीक्योरिटी डिपोजिट के रूप में 5,000 रुपये जमा करने पड़ते थे। घटनाक्रम यह दर्शाता है अक्टूबर 2017 के बाद से केवल 8 प्रतिरोध ही आयोजित किये गए।

इस सीमाओं और नियंत्रणों के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र में बने रहना कठिन होता जा रहा है। सरकार ने कई स्वैच्छिक संस्थाओं को बंद कर दिया है और कई संस्थाओं का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

पर नई संस्थाओं ने 20 वर्ष से भी अधिक समय तक क्षेत्र में बने रहने के लिए स्थायित्व के कुछ प्रतिमान अपनाये हैं। छोटी संस्थाएं भी इन प्रतिमानों या मॉडल्स का उपयोग कर सकती हैं और समाज के लिए अपना कार्य जारी रख सकती हैं।

⁷ GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO.3245

⁸ Promises and Reality: A Civil Society Initiative by Wada Na Todo Abhiyan/ 2018

⁹ Voluntary sector in India: Challenges, Opportunities and voices from the field; Mathew Cherian) Anupama Datta, Pratik Modi; IRMA TTI Policy Paper

अध्याय 3

केस स्टडीज़: स्थायित्व के मॉडल (प्रतिमान)

विश्व में स्थायित्व के अनेक दृष्टिकोण और प्रतिमान अपनाये जाते हैं। ये प्रतिमान संस्थाओं को लम्बे समय तक टिके रहने में मदद करते हैं। क्योंकि स्थायित्व आज के समय का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए विश्व की अनेक संस्थाएं अपनी क्षमताओं के अनुसार इन्हें अपनाती हैं ये विभिन्न प्रकार के प्रतिमान या मॉडल्स इस प्रकार हैं:

- 1) लागत संबंधी चेतना:** विश्व स्तर पर अपनाया जाने वाला एक प्रतिमान है – अपने कार्यक्रमों की लागत को कम करना। यह माना जाता है कि संस्थाएं अपनी लागतों को कम कर रही हैं। संस्थाएं निधियों का उपयोग करने और उन्हें प्रभावकारी रूप से खर्च करने के लिए निर्धारित नीति अपनाती हैं।
- 2) फंडिंग साझेदारी:** फंडिंग संबंधी साझेदारी अपना अस्तित्व बनाये रखने के उद्देश्य से संस्था के लिए महत्वपूर्ण होती है। अनेक हितधारकों के साथ साझेदारियां बनाने से एक अनुदानकर्ता पर निर्भरता में कमी आती है और क्षेत्र में अधिक टिकाऊपन आता है। यह माना जाता है कि क्षेत्र को टिकाये रखने के लिए अनेक अनुदानकर्ताओं का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर एक अनुदानकर्ता निधियां प्रदान करने से मना कर दे तो दूसरा अनुदानकर्ता संस्था को छूबने से बचा सकता है।
- 3) विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन):** स्वैच्छिक संस्थाओं में प्रौद्योगिकी, संचार और बाजार के अनुसार बदलाव आया है। नई संस्थाएं स्थापित करने के जर्बस्त दबाव के चलते अवसर पैदा हुए हैं। इस प्रकार विविधीकरण एक ऐसी रणनीति है जो निधियां सृजित करने के लिए विभिन्न विचारों को लेकर कार्य करती हैं। भूमंडलीय मंच पर मौजूदा संस्थाओं का मानना है कि आय जनन की अनेक कार्यनीतियां हो सकती हैं और इनमें से एक सामाजिक उद्यम है। इसके फलस्वरूप संस्था न केवल सरकार, निगमित अनुदानकर्ताओं और फाउंडेशनों से निधियां प्राप्त करती हैं, बल्कि विभिन्न व्यावसायिक स्रोतों से भी लाभ प्राप्त करती हैं। राजस्व विविधीकरण

को गैर लाभकारी संस्थाओं में आम तौर पर सकारात्मक रूप में लिया जाता है क्योंकि इसमें निर्भरता कम करने का गुण होता है। (फ्रीलिक)।

तो स्वैच्छिक क्षेत्र के स्थायित्व के लिए विश्व स्तर पर इन तीन प्रतिमानों या मॉडल्स को अपनाया जाता है। आइये अब कुछ चुनी हुई संस्थाओं के विभिन्न स्थायित्व मॉडलों और रणनीतियों पर विचार करें।

एकिसयन फ्राटेरना इकोलॉजी सेंटर, आंध्र प्रदेश

इतिहास

रुरल डिवलेपमेंट ट्रस्ट (आरडीटी) यानी ग्रामीण विकास ट्रस्ट की स्थापना फादर विंसेंट और श्रीमती एनी फेरर ने वर्ष 1969 में और एकिसयन फ्राटेरना (AF) की 1982 में की थी। ग्रामीण विकास ट्रस्ट की सहयोगी संस्था है। ग्रामीण विकास ट्रस्ट भारत में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों और अन्य पिछड़े तथा सीमांतीकृत समुदायों के लिए काम करने वाली एक जानीमानी संस्था है। संस्था कृषि, महिला विकास, पनढाल विकास, गैर-कृषि रोजगार और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है।



गत वर्षों की उपलब्धियां

गत वर्षों में संस्था अपना दूरगामी लक्ष्य या विजन हासिल करने में सफल रही है।

- वर्ष 1986 से 2007 तक संस्था ने सहभागी पनढाल विकास पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किये गये जैसे कि मृदा संरक्षण, पुराने टैंकों का जीर्णों द्वारा, हरियाली विकास, बागवानी, आदि। इस कार्यक्रम से



¹⁰ Diversification of Revenue Strategies: Evolving Resource Dependence in Nonprofit Organizations; Karen A. Froelich

300000 एकड़ के क्षेत्र में 60,000 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

- वर्ष 2007 में, यह देखते हुए कि पनढाल कार्यकलाप अब महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत किये जा रहे हैं, संस्था ने वर्षा पर निर्भर कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए टिकाऊ कृषि और विविधीकृत ग्रामीण आजीविका के कार्यक्रम हाथ में लिए। टिकाऊ कृषि और विविधीकृत



ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत फसल विविधीकरण, वर्षा आधारित बागवानी, शून्य बजट वाली प्राकृतिक कृषि तथा कुशल रोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण, आदि जैसे कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30,000 परिवारों को लाभान्वित किया गया। अब प्रत्यक्ष रूप से 20,000 परिवारों और अर्पत्यक्ष रूप से 60,000 परिवारों को लक्ष्य बनाते हुए 230 गांवों में इस कार्यक्रम को जारी रखा जा रहा है।

- वर्ष 2001 के बाद से एएफ द्वारा IWMP 3 वृहत पनढाल परियोजनाओं के अंतर्गत सरकारी निधिदान से और नाबार्ड के निधिदान वाली 6 पनढाल परियोजनाओं के अंतर्गत पनढाल परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- एएफ टिकाऊ कृषि, सूखा शमन और ग्रामीण आजीविका विविधीकरण को प्रोन्नत करते हुए विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 800 कृषक समूहों और उनकी फेडरेशनों को सहायता प्रदान कर रहा है।
- एएफ विभिन्न कृषि सेवाओं, मूल्यसंवर्धन और मार्केटिंग के कार्य हेतु 25 कृषक परस्पर सहायता प्राप्त कोआपरेटिव्स को सहायता प्रदान कर रहा है।
- संस्था ग्रामीण युवाओं को पेशेवर ड्राईविंग का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तीन ड्राइविंग स्कूल संचालित कर रहा है।
- एएफ ग्रामीण युवाओं का मोटर साईकिल मरम्मत, सेल फोन मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनंतपुर और कल्याणदुर्ग में रोजगार-उन्मुख कौशल विकास केंद्र संचालित कर रहा है।

- संस्था महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने और उन्हें वस्त्र उद्योग से जोड़ने के उद्देश्य से सिलेसिलाये वस्त्र बनाने में प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है।
- एएफ अनंतपुर जिले में आंध्र प्रदेश सूखा शमन परियोजन (APDMP) के कार्यालयन की नेतृत्वकारी संस्था है।
- एएफ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही जलवायु नमनीय (रेसिलिएंट) शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (CRZBNF) के कार्यान्वयन में एक संदर्भ संस्था है।

फंडिंग का ढांचा

अपने अस्तित्व के आरंभिक के वर्षों में संस्था 100 प्रतिशत विदेशी फंडिंग पर निर्भर थी। संस्था को अभी भी जर्मनी से फंडिंग प्राप्त होती है। किन्तु अब पनढाल विकास, सूखा शमन, CRZBNF जैसी परियोजनाओं के लिए निगमित क्षेत्र के सीएसआर, आंध्रप्रदेश सरकार और भारत सरकार से उसे पर्याप्त निधियां प्राप्त हो रही हैं। उसके वर्तमान अनुदानकर्ताओं में ब्रैड फार दि वर्ल्ड (जर्मनी), इंडिगो एयरलाइंस, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार), ICRISAT आदि शामिल हैं।

स्थिरता के प्रतिमान (मॉडल्स)

स्थायित्व की मुख्य चालक शक्ति हैं, दूसरी पंक्ति की नेतृत्व टीम और अनुक्रमण (एक्सेशन) योजनाएं तथा अनुदानकर्ताओं / फंडिंग के स्रोतों का विविधीकरण करना। संस्था का मानना है कि संस्था को सुगम रूप से बनाये रखने के लिए पारदर्शी अनुक्रमण या उत्तराधिकार योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। कुछ संकटपूर्ण स्थितियों को छोड़कर गवर्निंग बोर्ड पर अत्यधिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। लक्ष्यों के अनुरूप पारदर्शिता और सामाजिक जवाबदेही महत्वपूर्ण है। संगठन से जुड़े सभी मुददों पर संगठन में खुला विचार-विमर्श होना चाहिए। सभी स्तरों पर कर्मचारियों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए किन्तु अंतिम निर्णय गवर्निंग बोर्ड का होगा। संस्था में, कुछ विशेष स्थितियों को छोड़ कर निर्णय सर्वसम्मति की पद्धति से होने चाहिए।

स्थायित्व या सरटेनेबिलिटी का दूसरा मुख्य चालक है – संस्था की संस्कृति। संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी अलग-अलग पीढ़ियों के होने चाहिए जिससे संस्था को ऊर्जा और लचीलेपन के साथ विकसित होने में सहायता प्राप्त हो सके। युवा कर्मचारियों के विचार और ऊर्जा एक बड़ी शक्ति साबित हो सकते हैं। संस्था में पेशेवर कर्मचारी भी होने चाहिए जो वास्तविकता से जुड़े हों और जिन्हें अनुभव प्राप्त हो। दोनों प्रकार के कर्मचारियों के मेल से संस्था बदलती जरूरतों और स्थितियों के अनुसार अपने को तेजी से ढालने में सफल हो सकती है।

चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई)

इतिहास

चाइल्ड राइट एंड यू की शुरुआत 1979 में वंचित और अभावग्रस्त भारतीय बच्चों के बुनियादी अधिकारों में सुधार लाने और उन्हें पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। क्राई को भारत में लाखों ऐसे लोगों के बीच, जो संसाधन प्रदान कर सकते हैं, तथा जमीनी स्तर पर कार्यरत हुजारों समर्पित लोगों एवं संस्थाओं के बीच संपर्क सूत्र बनाया गया। संस्था बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कार्य करती है। साथ ही संस्था बच्चों के कुपोषण के क्षेत्र में भी कार्य करती है। इस समय संस्था देश के 19 राज्यों और ब्रिटेन तथा अमेरिका में कार्य कर रही है।



गत वर्षों की उपलब्धियां

क्राई एक जानामाना नाम है और भारत में बच्चों को सुखद और स्वस्थ बचपन प्रदान करने के अपने प्रयासों के लिए उसे अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

- वर्ष 2016–17 में क्राई ने 4,86,21 बच्चों के जीवन को प्रभावित किया जिसमें से 2,62,695 बच्चों को शिक्षा प्राप्त हुई; इसके अलावा 106 गांवों और झोंपड़ पटियों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया और 11522 बच्चों को पोषण प्रदान किया गया।
- वर्ष 2015–16 के दौरान संस्था ने 13 नये स्कूल स्थापित किये और 30 वर्तमान स्कूलों को प्राथमिक से उच्चतर स्तर के स्कूल बनाने हेतु सहायता प्रदान की। इसके अलावा 534 बच्चों का बचाव और पुनर्वास किया गया। इसके साथ ही जीवन के पहले वर्ष में 33,000 बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- वर्ष 2014–15 में 3,396 गांवों/झोंपड़ पटियों में 79,011 बच्चों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया गया। 29,229 कुपोषित बच्चों की पहचान की गई और उनका पंजीकरण किया गया। 82,105 बच्चों को जीवन रक्षक वैक्सीने उपलब्ध कराई गई।
- वर्ष 2013–14 में संस्था ने 97,905 बच्चों को लाभान्वित किया। बढ़ती हुई सामुदायिक जागरूकता के चलते 32 नये स्कूलों की शुरुआत की गई 1179 नये समेकित बाल विकास (ICDS) केंद्रों के माध्यम से गर्भवती माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य पर नजर रखने का कार्य किया गया। कुल मिलाकर 1,59,505 बच्चों का टीकाकरण किया गया। समुदाय जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाने की वजह से 1,221 गांवों ने मानव तस्करी के मामलों को सूचित किया।
- वर्ष 2012–13 के दौरान 4,600 बस्तियों में 50,000 बच्चों तक पहुंच बनाई गई। लगभग 60,000 कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनका पंजीकरण किया गया। उत्तर भारत में ऐसे 177 बच्चों का बचाव किया गया जो खो गये थे या जिनकी मानव तस्करी की गई थी।
- वर्ष 2010–11 में क्राई ने 8,92,881 बच्चों के जीवनों को प्रभावित किया। 648 गांवों को बाल मजदूरी से मुक्त किया गया। 415 नये आईसीडीएस केंद्र खोले गये और 1,22,898 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। शारीरिक विकास पहलकदमियों के अंतर्गत 5,706 विकलांग बच्चों को लाभ प्रदान किया गया।

फंडिंग का ढांचा

संस्था का वित्तीय मॉडल अपने आप में अनूठा है। संस्था एक आवश्यक माध्यम के रूप में एडवोकेसी पर बल देती है। संस्था व्यक्तिगत अनुदानों में विश्वास रखती है और उसे केवल 15 प्रतिशत फंडिंग अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है। संस्था की स्थापना के समय से ही निधियां व्यक्तिगत अनुदान के माध्यम से जुटाई जाती हैं। संस्था लोगों पर विश्वास करती है और उनसे वह करने के लिए कहती है जो वे अच्छी तरह कर सकते हैं। अन्य 15 प्रतिशत अनुदान हीरो, एयरटेल, टाटा कैपिटल, आर्कल, कैफ इंडिया जैसी विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त की जाती है।

स्थिरता का मॉडल

संस्था के स्थायित्व के मुख्य चालक हैं – उसका ढांचा और संस्कृति। जैसे कि कहा जा चुका है, सांगठनिक ढांचे को बनाये रखने के लिए संस्था ने एक श्रेणी के सभी कर्मचारियों को समान वेतन का भुगतान करने का मानदंड अपनाया है। उदाहरण के लिए श्रेणी 2 के सभी कर्मचारियों को एक समान वेतन प्राप्त होता है। इससे सुगम कार्य वातावरण सुनिश्चित होता है। कर्मचारियों को प्राथमिकता देना स्थायित्व का एक मुख्य कारक है। संस्था नये भरती हुए कर्मचारियों को उनके कार्य भूमिका और लक्ष्य के बारे में अभिविन्यास प्रदान करने में विश्वास प्रदान करती है। संस्था ने 1994 में अपनी मानव संसाधन नीति स्थापित की है। इसमें मातृत्व लाभ के प्रावधान का भी उल्लेख है।

स्थिरता या सर्टेनेबिलिटी का एक अन्य कारक पुनः अन्वेषण (रिइन्वेंशन) है। संस्था बाल अधिकारों के अपने लक्ष्य में बदलाव लाये बिना व्यक्तियों से अनुदान एकत्र करने के लिए अलग-अलग विचारों का उपयोग करती है। क्षेत्र में जाने और बदलावों को समझाने तथा उनका प्रयोग करने से संस्था को लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि यह व्यक्तिगत अनुदानों पर निर्भर करता है, इसलिए क्षेत्र में बदलावों को समझना महत्वपूर्ण होता है।

संस्था ब्रांडिंग को महत्व प्रदान करती है। वह अपने द्वारा किये गये कार्य को प्रस्तुत करने में मजबूती से विश्वास करती है। वर्ष 1990 में संस्था ने रिपोर्ट प्रकाशित करनी शुरू कीं जबकि रिपोर्ट जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। संस्था ने एक ब्लॉग शुरू करके, और अपनी वेबसाइट पर सफलता के प्रयासों को दर्शा कर अपने कार्य को प्रस्तुत किया है।

समुदायों के बीच विश्वास – निर्माण महत्वपूर्ण है। उसने पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास जताया है। जैसा कि कहा जा चुका है, गवर्निंग बोर्ड संस्था के कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता।

इस प्रकार क्राई सुचमुच इतने समय तक टिके रहने के लिए व्यवसाय मॉडल को लेकर कार्य करती है। निधिदाताओं पर कम निर्भरता और व्यक्तिगत अनुदान एकत्र करने की वजह से ही संस्था के लिए टिके रहना संभव हो पाया है। इसमें न केवल भौतिक संसाधन, बल्कि मानव संसाधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुलेपन का वातावरण तैयार करके और युवाओं को अवसर प्रदान करने से संस्था के लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। संस्था अपने लक्ष्यों के साथ समझौता नहीं करती और अगर कोई अनुदानकर्ता संगठन किसी बात से सहमत नहीं होता तो वे उसका नाम अनुदानकर्ताओं की सूची से हटा देते हैं। व्यक्तियों के माध्यम से निधियां जुटाने में संस्था का विश्वास उसके कार्य का एक मजबूत पक्ष है।

कंसैप्ट सोसाइटी

इतिहास

इस संस्था की स्थापना सामाजिक-आर्थिक विकास के दूरगामी लक्ष्य (विजन) के साथ 2005 में हुई थी। सहभागितापूर्ण विकास दृष्टिकोण और नीचे से ऊपर की ओर उन्मुख दृष्टिकोण की जरूरत और महत्व कंसैप्ट संस्थान के विकास की प्रेरणा रहे हैं। संस्था के कार्य क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश के इंदौर और देवास जिले रहे हैं। इस समय संस्था मध्य प्रदेश में जिले के देवास प्रखंड में और इंदौर डिवीजन के मऊ ब्लाक के 10 गांवों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

संस्था मुख्यतः समाकलित, समग्रतापूर्ण और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जिसका उद्देश्य समाज के सभी भागों के निर्धन और सीमांतीकृत लोगों का स्थायित्वपूर्ण विकास करना है। संस्था के मुख्य कार्य-क्षेत्र हैं: महिला सशक्तीकरण, आजीविका प्रोन्नति, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, नेटवर्किंग और शोध, दस्तावेजीकरण तथा प्रकाशन।



गत वर्षों की उपलब्धियां

- संस्था ने कपड़ा मंत्रालय – विकास आयोग कार्यालय (हस्तशिल्प) के अंतर्गत विभिन्न हस्तशिल्पों के 2003 दस्तकारों का पंजीकरण किया है।
- संस्था ने महिला एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया है। इसके अंतर्गत संस्था ने पोर्टल पर 7000 महिलाओं का पंजीकरण किया जिसके माध्यम से उन्हें प्रसव-पूर्व देखरेख और प्रसव-पश्चात देखरेख के मामलों में नियमित वॉइस काल प्राप्त होती है। विभिन्न कौशलों में और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 3500 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- 35 दिवसीय लेपटाप आधारित साक्षरता कार्यक्रम के बाद 560 महिलाओं को साक्षर बनाया गया और प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।

- 70 महिलाओं ने प्रशिक्षण और सशक्तीकरण कार्यक्रम के बाद स्वयं अपने उद्यम शुरू किये।

- 70 समुदाय आधारित संगठनों की स्थापना की गई।

- कुल 48 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया और उनमें से 43 को बैंकों से जोड़ा गया और बाकी स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से



जोड़ने का कार्य चल रहा है। ये स्वयं सहायता समूह इस क्षेत्र में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के संरक्षण बन गये हैं।

- आज 500 से सभी अधिक महिलाओं को कंसेप्ट संस्थान से जोड़ा जा चुका है।

- इस अवधि के दौरान कंसेप्ट संस्थान द्वारा किये गये विभिन्न स्वारथ्य आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से 750 से भी अधिक महिलाओं और बच्चों की स्वारथ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाया गया है।

फंडिंग का ढांचा

समय के साथ-साथ संस्था के फंडिंग ढांचे में बदलाव आया है। संस्था अनेक अनुदानकर्ताओं के साथ कार्य करने की रणनीति का पालन करती है। पहले संस्था को अधिकतर निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंडिंग प्राप्त होती थी। संस्था को विदेशी अनुदान और सरकारी फंडिंग भी प्राप्त होती है। पर समय के साथ संस्था के फंडिंग ढांचे में बदलाव आया है। अब सरकारी फंडिंग बढ़ गई है, हालांकि उसे अभी भी विदेशी फंडिंग और सीएसआर फंडिंग प्राप्त हो रही है।

स्थिरता के प्रतिमान या मॉडल

संस्था के स्थायित्व की मुख्य चालक शक्ति समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण है। संस्था की रणनीति है – समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओज) को मास्टर प्रशिक्षण प्रदान करके उनके क्षमता-निर्माण में मजबूती लाना। संस्था का मानना है कि स्थिति के अनुसार रणनीति में भी बदलाव किया जाना जरूरी है। संस्था ने कुछ समय सेवा प्रदाता का कार्य किया और अब वह जरूरतमंद संस्थाओं को कानूनी अभिशासन प्रदान कर रही है। बदलती रणनीतियों के साथ संस्था संस्थागत सहायता लागत का 5–10 प्रतिशत अपने पास रखती है।

वॉलेटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

23

दसरा

इतिहास

दसरा संस्था सामाजिक परिवर्तन में तेजी लाने हेतु सहयोगपूर्ण कार्रवाई द्वारा भारत के परोपकारी क्षेत्र में एक प्रेरक शक्ति बनी है। वर्ष 1999 में संस्था की स्थापना इस आधार पर हुई थी कि अपने विकास में गैर-लाभकारी प्रयासों के विकास में सहायता से उसके द्वारा सेवित असुरक्षित जीवनों पर प्रभाव पड़ेगा। मैजिक बस और विलग्रो जैसी संस्थाओं का संवर्धन करने से शुरूआत करते हुए, दसरा ने भारत में करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव से अपने विजन को विकसित किया। यह कार्य संस्था गैर-सरकारी संगठनों को मजबूत बनाकर, परोपकारियों को रणनीतिक और प्रभावी ढंग से निवेश करने और सरकारी नीति को प्रभावित करने में सहायता प्राप्त करके करती है। परोपकारी व्यक्तियों, परिवारों, फाउंडेशनों और निगमित निकायों को गैर-लाभकारी संगठनों की विकास यात्रा में समान साझेदार बनने हेतु पोषित करके दसरा का उद्देश्य प्रभाव को व्यापक बनाना है। यह संस्था इन तीन क्षेत्रों में सहयोगी कार्रवाई को चालित करती है: शहरी स्वच्छता, जनतंत्र एवं अभिशासन तथा किशोर-किशोरियां।



गत वर्षों की उपलब्धियां

- पिछले दो दशकों में दसरा ने भारत में समुदायों के विकास पर 500 से भी अधिक करोड़ रुपये के निवेश को निर्देशित किया है। संगठन ने 3500 निगमित क्षेत्र संस्थाओं, फाउंडेशनों और परोपकारियों को कार्य में संलग्न किया और परोपकारी अनुदान के संबंध में 300 से अधिक परिवारों के साथ साझेदारी की है।
- 1999 के बाद से संस्था ने स्नेहा, मैजिक बस, एजुकेट गर्ल्स, शेल्टर एसोसिएट्स और क्वेस्ट एलाएंस जैसी भारत की अग्रणी गैर-लाभकारी संस्थाओं को अपना कार्य आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की है। अब तक संस्था ने 800 से भी अधिक गैर-लाभकारी संस्थाओं की यात्रा को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की है। दसरा अपने नेतृत्व और एक्सीलिरेटर कार्यक्रमों के माध्यम से 180 से भी अधिक गैर-सरकारी संगठनों के नेताओं को हर वर्ष प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- दसरा के शोध ने प्रभावशाली अनुदानकर्ताओं, गैर-लाभकारी संस्थाओं और सरकार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में दसरा संस्था के 500 से भी अधिक ज्ञान उत्पाद (जैसे कि रिपोर्ट, वाइट पेपर, वीडीओज, इंफो ग्रैफिक्स, डिजिटल उत्पाद, आदि) मौजूद हैं।
- शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में दसरा ने वर्ष 2017 में नेशनल पालिसी ऑन फीकल स्लज एंड सेप्टिज मैनेजमेंट (एफएसएसएम) को तैयार करने में सहायता प्रदान की। इससे 26 राज्यों में से 19 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साझेदार संगठनों को एफएसएसएम पर नीतियां और मार्गनिर्देश तैयार करने में मदद मिली।

फंडिंग का ढांचा

वर्ष 2003 और 2009 के बीच दसरा की 95 प्रतिशत फंडिंग अमरीका और ब्रिटेन में आधारित छोटी और मध्यम फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त हुई। पर इसमें वर्ष 2009 में बदलाव आना शुरू हुआ जब दसरा ने विदेशी फंडिंग पर निर्भरता को कम करने का और भारत में स्थानीय अलाभकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान



करने के लिए घरेलू निधियों का उपयोग करने का निर्णय किया। वर्ष 2008 से दसरा ने भारत में व्यक्तिगत अनुदानकर्ताओं के साथ कार्य की शुरूआत की। संस्था उन फंडर्स (निधिदाताओं) के साथ कार्य करती हैं जिनमें वार्षिक रूप से एक से 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान करने की क्षमता होती है। स्वयं दसरा को अनेक व्यक्तिगत अनुदानकर्ताओं, और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशनों से निधियां प्राप्त होती हैं जिनमें एटीई चंद्रा फाउंडेशन, , अवकाश, एजीवीपीएन, आजिम प्रेमजी फिलांथ्रापिक इनिशियेटिव, बैंक ऑफ अमेरिका, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बीएमडब्ल्यू फाउंडेशन, सेंटर फार सोशल इंपैक्ट एंड फिलांथ्रापी, चिल्ड्रन्स इंवेर्स्टमेंट फंड फाउंडेशन, डेविड एंड लूसिल पैकार्ड फाउंडेशन, फार्क्स मार्शल फाउंडेशन, कियावा ट्रस्ट, मैकार्थर फाउंडेशन, ओमिडयार नेटवर्क, पिरामल फाउंडेशन, राबर्ट बास्च स्टिफटुग, स्पार्क लीडरशिप, टाटा ट्रस्ट और यूएसएड जैसी संस्थाएं शामिल हैं।

स्थिरता के मॉडल्स

संस्था के स्थायित्व की मुख्य चालक शक्ति है शोध–नेतृत्व वाला दृष्टिकोण। प्रासंगिक बने रहने की दासरा की क्षमता भारत की विकसित होती विकास जरूरतों को तत्काल पहचानने और इस दिशा में समाधानों की पहचान करने, उन्हें वित्तपोषित करने तथा मजबूत बनाने की उसकी क्षमता है। इसके अलावा दसरा इन प्रक्रियाओं को लेकर अकेले में कार्य नहीं करता; बल्कि वह सरकार, अकादमिक क्षेत्र, निधिदानकर्ताओं और गैर-लाभकारी संस्थाओं के बीच के सर्वाधिक रणनीतिक साझेदारों के साथ मिलकर कार्य करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समाधान मिलकर तैयार किये गये हैं और सभी उसमें शामिल हैं।

सहयोग और कार्य–उन्मुख शिक्षण की लग्न के चलते ही आज दसरा संस्था प्रासंगिक बनी हुई है और भारत में गतिशील विकास परिदृश्य से अवगत है।

ग्रामीण विकास विज्ञान समिति

इतिहास

ग्रामीण विकास विज्ञान समिति की स्थापना स्वर्गीय एल.सी. त्यागी, शशि त्यागी और अन्य विकास कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी जिनका सहभागी ग्रामीण विकास में विश्वास था। जीवीवीएस सर्वोदय आंदोलन से प्रभावित रही है जिसने समूचे समाज के उत्थान के लिए पहले निर्धनों के लिए कार्य किया। संस्था अपने कार्य में गांधीकारी दृष्टिकोण को अपनाती रही है। शुरू में संस्था ने जोधपुर जिले के 20 गांवों में अपने काम की शुरूआत की। आज यह संस्था राजस्थान, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के 1500 गांवों में कार्य कर रही है। यह राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र, उत्तराखण्ड और बुंदेलखण्ड क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी गैर-सरकारी संस्था है। वर्तमान में संस्था थार रेगिस्तान में जल संकट के कारण पैदा हुई सूखे की समस्या को हल करने के लिए कार्य कर रही है। संस्था न केवल जल संबंधी मुददों को लेकर कार्य कर रही है, बल्कि उसने शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, सूक्ष्म वित्त और समाज के अधिक असुरक्षित समुदायों के अधिकारों के लिए एडवोकेसी के माध्यम से बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। संस्था ने हाल ही में महिला सशक्तीकरण और समुदाय स्वास्थ्य के अलावा कृषक विकास और सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तराखण्ड और बुंदेलखण्ड में कार्य करना आरंभ किया है।



गत वर्षों की उपलब्धियां

संस्था विभिन्न कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों को लेकर काम कर रही। ये हस्तक्षेप जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं। इन चार राज्यों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

- संस्था द्वारा आरंभ किये गये जल सुरक्षा कार्यक्रमों में टंकियों का निर्माण, नदियों की गाद को साफ करना और जल संग्रह के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। वर्ष 2010–11 में 5216 टंकियों का निर्माण किया गया और अब वर्ष 2016–17 में यह संख्या 6,869 तक पहुंच चुकी है। निर्मित किये गये वैरियरों

की संख्या 2010–11 में 515 थी जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 599 हो गई। नादियों की गाद साफ करने (डिसिल्टिंग) के 2010–11 में 238 किये गये जिनकी संख्या वर्ष 2016–17 में बढ़कर 272 हो गई। आयोजित किये गये प्रशिक्षणों की संख्या 2010–11 में 407 थी जो वर्ष 2016–17 में बढ़ कर 945 हो गई।



- खाद्य सुरक्षा संबंधी पहलकदमियों में खाड़ियों का निर्माण और मरम्मत, बीज बैकों (सीड बैक्स), बागवानी इकाइयों, सामुदायिक चराई भूमि को लेकर किया गया कार्य शामिल है। वर्ष 2010–11 में 4460 खाड़ियों के निर्माण और मरम्मत का कार्य किया गया और वर्ष 2016–17 में 537 ऐसे कार्य किये गये। पैरावेट प्रशिक्षणों की संख्या वर्ष 2010–11 में 8 थी जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 24 हो गई।

फंडिंग का ढांचा

ग्रेविस का फंडिंग ढांचा अनूठा है। पहले जो स्वैच्छिक क्षेत्र में ट्रस्ट आधारित फंडिंग प्रमुख थी वह इस संस्था के संदर्भ में अभी भी मौजूद है। जो संस्थाएं संस्था को लम्बे समय से निधियां प्रदान कर रही थीं, वे संस्थाएं आज भी कर रही हैं। पहले संस्था मुख्यतः विदेशी निधियों पर निर्भर थी, पर अब संस्था विभिन्न अन्य स्रोतों निधियों से प्राप्त करती है जैसे कि सीएसआर फंडिंग, सरकारी अनुदान, आदि। हालांकि संस्था अभी भी विदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है, पर उसकी मात्रा कम हो गई है और सीएसआर फंडिंग में वृद्धि हुई है।

स्थिरता के मॉडल

संस्था के स्थायित्व की मुख्य चालक शक्ति है उसका समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण। उसका मानना है कि समुदाय के साथ रहना समुदाय की जीवन शैली को समझना और उसकी समस्याओं को लेकर हस्तक्षेप तैयार करना सबसे अच्छा तरीका है। संस्था समुदाय के मुद्दे को लेकर चतुराई के साथ कार्य करती है। समुदाय पर विश्वास किसी भी संस्था की सबसे बड़ी संपत्ति होता है। अपने लक्ष्य में बदलाव लाये बिना, संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र में टिकी हुई है।

पुर्णअन्वेषण संस्था के स्थायित्व का दूसरा कारण है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संस्था विभिन्न कार्यकलाप चलाती है। संस्था स्थिति और रुझान के अनुसार अपने में बदलाव लाती है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए संस्था ने विभिन्न कार्यकलाप शुरू किये और महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। स्वयं सहायता समूह आरंभ करते समय महिलाओं को अपने परिवार के सदस्यों की ओर से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

महिला अभिवृद्धि सोसाइटी (APMAS) आंध्र प्रदेश

इतिहास

वर्ष 1998 में आंध्र प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने वाला एक महिला बैंक स्थापित करना चाहती थी क्योंकि बैंक महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के इच्छुक हितधारकों में राज्य सरकार, गैर-सरकारी संस्थाएं, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं आदि शामिल थे। प्रमुख हितधारकों के साथ अनेक विचार-विमर्शों और बैठकों के बाद राज्य सरकार, केयर और ब्रेक्सिस ने गैर-सरकारी समूहों को मजबूत बनाने के लिए क्षमता-निर्माण और परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु एक स्वायत्त राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने का फैसला किया।



लगभग दो वर्षों की सघन परिचर्चा के बाद महिला अभिवृद्धि सोसाइटी आंध्र प्रदेश (APMAS) को भारत में स्थायित्वपूर्ण स्वयं सहायता आंदोलन के विजन के साथ अलाभकारी सार्वजनिक सोसाइटी के रूप में प्रोन्नत किया गया। APMAS संस्था जुलाई 2011 में अस्तित्व में आई और सी.एस. रेड्डी इसके संस्थापकों में से एक और इसके पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं। पिछले 17 वर्षों में APMAS ने अपने इस घटनापूर्ण यात्रा में काफी कुछ हासिल किया और प्रासंगिक बनी रही। APMAS ने 3,00,000 से अधिक पेशेवर और अर्ध-पेशेवर कर्मियों स्थायित्वपूर्ण स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों की फेडरेशनों को प्रोन्नत करने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया। बिहार में APMAS ने 45 शहरों में कार्य किया और झाँपडपट्टी तथा शहर स्तर पर 10,000 स्वयं सहायता समूहों और 500 स्वयं सहायता समूहों को प्रोन्नत किया; उसने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सुरक्षित पेय जल और स्वच्छता पहलकदमियां की और जल गुणवत्ता की मानीटरिंग की; स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता फेडरेशनों, महिला सशक्तीकरण आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के संबंध में 60 शोध अध्ययन किये।

APMAS ने सतत रूप से साक्ष्य आधारित नीति एडवोकेसी की, कोआडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, कनाडा के सहयोग से समुदाय आधारित सूक्ष्म वित्त पर 5 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित किये। आज यह संस्था अपनी अनेक उपलब्धियों का दावा कर सकती है।

गत वर्षों की उपलब्धियां

पिछले वर्षों में संस्था ने तीन मुख्य क्षेत्रों में कार्य किया है: प्रोन्नति और क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और शोध एडवोकेसी।

प्रोन्नति और क्षमता—निर्माण

- क) संस्था ने भारत में संस्था निर्माण और आजीविका प्रोन्नति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में लगभग 300,000 पेशेवर और अर्ध-पेशेवर कर्मियों को सीधे-सीधे प्रशिक्षण प्रदान किया; उसने प्रभावकारी संदर्भ-विशिष्ट प्रशिक्षण माडल्स और समग्री तैयार की; तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 200,000 स्वयं सहायता समूहों और 10,000 स्वयं सहायता समूह फेडरेशनों को सहायता प्रदान की।
- ख) संस्था बिहार के 45 शहरों में कार्य करते हुए 10,000 स्वयं सहायता समूहों और 500 स्वयं सहायता समूह फेडरेशनों को प्रोन्नत कर रही है।
- ग) गत वर्षों में संस्था ने एसएचजी फेडरेशनों, सहकारों की समीक्षा या रेटिंग की।
- घ) संस्था ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पेय जल और स्वच्छता पहलकदमियों का कार्यान्वयन किया और जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की।
- ड) APMAS ने जीआईजेड, जर्मनी, ब्रैड फार दि वर्ल्ड, जर्मनी की साझेदारी में और डीजीआरवी, जर्मनी की तकनीकी सहायता से आंध्र प्रदेश में 20 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज) को प्रोन्नत किया।



तकनीकी सहायता

- क) APMAS ने एसएचजी फेडरेशनों और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रोन्नत एपेक्स सहकारी संस्थान को सूचित किया और उसका रूपांकन किया।
- ख) उसने एसएचजी फेडरेशनों के माध्यम से एसएचजी सदस्यों के लिए वित्तीय उत्पाद प्रदान करने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एसएचपीआईज को तकनीकी सहायता प्रदान की।

शोध और एडवोकेसी

- क) देश में एसएचजी संस्थाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 65 शोध अध्ययन आयोजित किये।

ख) स्वयं सहायता समूहों और उनकी फेडरेशनों पर तीन पुस्तकों सहित 69 विषयगत प्रकाशन तैयार किये।

फंडिंग का ढांचा

APMAS के वित्तीय मॉडल में समय के साथ-साथ बदलाव आया है। पहले संस्था को डीएफआईडी, फोर्ड फाउंडेशन आदि से 100 प्रतिशत विदेशी वित्तपोषण प्राप्त होता था। जबकि उसका 90 प्रतिशत कार्य था स्वयं सहायता समूहों की फेडरेशनों का मूल्यांकन, उनका प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण और शोध तथा एडवोकेसी। अब संस्था प्रायोगिक परियोजनाएं हाथ में लेती है और सीधे-सीधे एसएचजीज, एफपीओज को प्रोन्नत करती है तथा मूल्य श्रृंखला पद्धति के माध्यम से आजीविकाओं के लिए सहायता प्रदान करती है। स्वैच्छिक क्षेत्र में फंडिंग के ढांचे में उतार-चढ़ाव के साथ संस्था अब केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के माध्यम से निधियां जुटाती है। इस समय संस्था ने अपनी विदेशी फंडिंग को 50 प्रतिशत कम कर दिया है और वह सीएसआर परियोजनाएं हाथ में ले रही है और सरकारी निधियां प्राप्त कर रही है। संस्था के वर्तमान अनुदानकर्ताओं में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जीआईजेड, जर्मनी, नाबार्ड, डीजीआरवी और राज्य सरकार शामिल हैं।

स्थिरता के मॉडल

APMAS के स्थायित्व का मॉडल है संस्था में मजबूत नेतृत्व संस्था के पास एक मजबूत और समर्पित निदेशक मंडल है। संस्था का विजन और मिशन तथा उन्हें हासिल करने की रणनीति स्पष्ट है। संस्था के निदेशक मंडल में 20 सदस्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कि गैर-सरकारी संस्थाएं, निजी क्षेत्र, शैक्षिक जगत, आदि। संस्था के पास वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन विकास की तथा प्रशासन की एक मजबूत प्रणाली है जो पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करती है।

एक दूसरा कारण है – विविधीकरण। संस्था का मानना है कि उसे केवल एक अनुदानकर्ता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसकी बजाये अनुदानकर्ताओं में विविधता होनी चाहिए। अनुदानकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए संस्था के पास विविधतापूर्ण पोर्टफोलिओ होना चाहिए।

स्थायित्व की दूसरी चालक शक्ति है सांगठिक संस्कृति। संस्था का कार्य वातावरण संस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें मानव संसाधनों को महत्व दिया जाता है। संस्था में पेशेवर दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। इसके माध्यम से टीम कार्य को प्रोत्साहित किया जा सकता है और संस्था विकास हासिल कर सकती है। अंतरिक प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है।

APMAS बदलते वक्त के साथ-साथ प्रासंगिक बने रहने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह एक सामाजिक उद्यम की तरह से कार्य करता है और उसने अपने पोर्टफोलियों का विविधीकरण करने के लिए अलाभकारी कंपनी को प्रोन्नत किया है। संस्था क्षमता-निर्माण, शोध, नीतिगत एडवोकेसी तथा सहमेल और साझेदारी निर्माण के माध्यम से स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है।

ऑक्सफैम इंडिया

इतिहास

ऑक्सफैम, ग्रेट ब्रिटेन ने भारत में अपना पूर्ण मानवतावादी प्रत्युत्तर की शुरूआत 1951 में बिहार में पड़े सूखे के दौरान आरंभ किया था। वर्ष 2008 में देश में कार्यरत सभी ऑक्सफैम संस्थाओं ने मिलकर ऑक्सफैम इंडिया की स्थापना की थी। तब से ऑक्सफैम देश की जमीनी स्तर की संस्थाओं के साथ कार्य कर रही है। ऑक्सफैम इंडिया 19 ऑक्सफैम संस्थाओं के भूमंडलीय महासंघ की एक सदस्य है। ऑक्सफैम इंडिया का लक्ष्य समाज के सीमांतीकृत हिस्सों का सशक्तीकरण करके एक समानतापूर्ण, न्यायपूर्ण और स्थायित्वपूर्ण समाज की स्थापना में योगदान करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संस्था के कार्यक्रमों में आर्थिक कार्यक्रम, न्याय, जेंडर न्याय, मानवतावादी प्रत्युत्तर से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। संस्था चार निर्धनता उन्मूलन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करती है जो इस प्रकार हैं – आजीविका, महिलाओं के लिए संघर्ष, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा मानव अधिकार।



गत वर्षों की उपलब्धियां

- वर्ष 2016–17 में नागरिक ब्रिक्स फोरम में केंद्रीय भूमिका—“भारतीय विकास सहयोग का भविष्य रिपोर्ट” पर सांसदों के साथ परामर्श किया गया।
- 2015–16 ऑक्सफैम इंडिया को “दक्षिण भारतीय बाढ़ प्रत्युत्तर” के लिए तीन महत्वपूर्ण अनुदानकर्ता संस्थाओं से फंडिंग प्राप्त हुई: डीआरएफ, सीएचएफ और स्टार्ट फंड
- वर्ष 2014–15 में ऑक्सफैम इंडिया की फंड संग्रह रणनीति आरंभ की गई। संस्था अंत–संबृद्ध कंसोर्टियम्स अंग बनी: रेसिलिएंस, ग्रो, जेंडर जरिट्स।



फंडिंग का ढांचा

पिछले अनेक वर्षों से ऑक्सफैम इंडिया की फंडिंग में बदलाव नहीं आया है। आरंभ में ऑक्सफैम इंडिया को ऑक्सफैम डिवीजन के अग्रणी स्रोत से फंडिंग प्राप्त होती थी। नये एफसीआरए कानून के अस्तित्व में आने के बाद फंडिंग मिलना कठिन हो गया है। इसलिए संस्था ने विभिन्न कार्यकलाप आयोजित करके अपना आय जनन करना पसंद किया। आज आय जनन उनके बजट का 20 प्रतिशत है। इनमें से एक ट्रेल वाक है। ट्रेल वाक 100 किलो मीटर लम्बी सैर है जिसमें देश में विभिन्न भागों से सहभागियों को आमंत्रित किया जाता है और फिर उनकी टीमें बनाई जाती हैं। हर सहभागी को 30,000 रुपये का योगदान करना होता है। यह ट्रेल वाक एक सफल कार्यकलाप है। ऑनलाइन अनुदान निधि-संग्रह की एक और रणनीति है। प्राकृतिक विपदाओं के समय में देश और जनता की सहायता के लिए संस्था निधियों के संग्रह के लिए भारत की निगमित कंपनियों से भी संपर्क करती है।



स्थिरता के मॉल

ऑक्सफैम का स्थायित्व मॉडल समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण है। संस्था सर्वाधिक सीमांतीकृत (मार्जिनलाइज्ड) सप्रदायों को लामबंद करते हुए उनके लिए काम करती है। संस्था एक मुद्दे की पहचान करके अलग-अलग तरीकों से काम करती है। उदाहरण के लिए, यदि संस्था मुस्लिम समुदाय के बीच काम करना चाहती है तो उसकी रणनीति यह होती है कि समुदाय के लोगों के जीवन को लाभ पहुंचाये ताकि वे मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकें।

सोसाइटी फार पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया)

इतिहास

प्रिया की स्थापना 1982 में हुई थी। यह संस्था सहभागी शोध और प्रशिक्षण का एक भूमंडलीय केंद्र है। प्रिया का मिशन है नागरिकों, समुदायों और संस्थाओं की क्षमताओं का निर्माण करना। प्रिया ने सशक्तीकरण के रूप में हमेशा सहभागिता को प्रोत्साहित किया है। प्रिया का कार्य क्षमता निर्माण, ज्ञान, संवर्धन और नीतिगत एडवोकेसी के माध्यम से बहिष्कृत समुदायों का सशक्तीकरण करना है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया) के हस्तक्षेपों और कार्यक्रमों के चार मुख्य स्तंभ इस प्रकार हैं: जानकारी को साझा करना और जागरूकता पैदा करना; मानव और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना; बहुपक्षीय स्तरों पर अधिकारियों के साथ एडवोकेसी और ज्ञान का निर्माण करना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना।



गत वर्षों की उपलब्धियां

प्रिया की सफलताएं न केवल विविधतापूर्ण, पर गहन भी हैं।

- “यूथ इन डेमोक्रेसी प्रोग्राम” के माध्यम से 100 जिलों के 10 लाख युवाओं तक पहुंच बनाई।
- नगर स्वच्छता नियोजन में 5000 महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण दिया
- 500 नागरिक और युवा समूहों का गठन किया
- 1,25,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण दिया
- 50,000 नागरिक नेताओं को सृजन किया



- 100,000 बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की।

- उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में 500 ग्राम पंचायतों में पेय जल की सुरक्षित आपूर्ति।

- 10 शहरों की अनौपचारिक बसितियों में 200 शहरी निर्धनों को स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराई

- राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में 250 ग्राम पंचायतों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई

- वर्ष 2014–15 में सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का उन्मूलन करने का अभियान 92,000 समुदाय के सदस्यों के बीच चलाया गया 18,500 युवाओं का क्षमता–निर्माण किया गया और 35 नागरिक युवा नेता तैयार किये गये।

- वर्ष 2013–14 में प्रिया ने 6,000 निर्धन और सीमांतीकृत लोगों तक पहुंच बनाई; और 10 राज्यों की 65 ग्राम पंचायतों में अप्रत्यक्ष रूप से 85,000 लोगों को प्रभावित किया।



फंडिंग का ढांचा

पिछले कुछ वर्षों में प्रिया के फंडिंग के ढांचे में थोड़ा बदलाव आया है। पहले प्रिया को सरकारी अनुदान प्राप्त होता था; पर बदलते समय के साथ सरकारी अनुदान में गिरावट आई है। संस्था कोई अनुदान नहीं करती, पर सरकारों के साथ अल्पकालिक अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाते हैं। दूसरी ओर 50 प्रतिशत विदेशी अनुदान और 50 प्रतिशत घरेलू अनुदान प्राप्त करती है।

स्थिरता के मॉडल

संस्था का मानना है कि विकास करने के लिए संस्था को अवसर तलाशने की जरूरत होती है। समुदायों और नागरिकों के साथ काम करना महत्वपूर्ण है। संस्थागत संस्कृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही युवाओं को शामिल करना और सहभागी बनाना भी महत्वपूर्ण होता है। संस्था को यह पता होना चाहिए अपने संसाधनों का प्रभावशाली ढंग से कैसे उपयोग करना है। इस समय युवाओं को कार्य में संलग्न करने के लिए संस्था युवा प्रशिक्षणों का आयोजन कर रही है।

सहायी : सेंटर फार कलेक्टिव लर्निंग एक्शन

इतिहास

सहायी: सेंटर फॉर कलेक्टिव लर्निंग एक्शन एक पंजीकृत परोपकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1990 में त्रिवेंद्रम, केरल में हुई थी। इसका विजन है जेंडर समानता के साथ स्व-निर्भर स्व-स्थायी, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण करना। यह संस्था क्षेत्रीय सहायता स्वैच्छिक विकास संगठन के रूप में कार्य करती रही है। इसके हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं: नागरिक समाज के संगठनों की प्रोन्नति और सुदृढ़ीकरण, स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना; विपदा राहत पुनर्वास और तैयार, अधिकारों के मुद्दों पर कार्य करना, महिलाओं और सीमांतीकृत समुदायों का सशक्तीकरण और विकास, शहरी और ग्रामीण विकास, निर्धनता में कमी लाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना और जन एडवोकेसी तथा लॉबीइंग करना।



गत वर्ष की उपलब्धियाँ

- सहायी संस्था अपने संस्था निर्माण और पेशेवर सांगठनिक विकास तथा प्रबंधन के माध्यम से स्वैच्छिक क्षेत्र को संपर्क और नेटवर्किंग सहायता प्रदान करती है। उसने केरल राज्य में सैकड़ों स्वैच्छिक संस्थाओं की सोच-समझ, दृष्टिकोण और कार्य संचालन में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। इससे न केवल संस्थाओं को कानूनी अनुपालन में सहायता प्राप्त हुई है और उनकी वैधता (लेजिटिमेसी) में सुधार आया है, बल्कि लक्ष्य समुदाय को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी पर्याप्त सुधार आया है।
- 1990 में अपनी स्थापना के समय से प्रशिक्षण, शोध और विकास के क्षेत्र में संस्था द्वारा तैयार किये गये और अपनाये गये सहभागितापूर्ण दृष्टिकोणों, पद्धतियों और उपकरणों को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इनका राज्य में अनेक सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों तथा संस्थाओं द्वारा पालन किया गया है और ये दोहराये जाने वाले मॉडल सिद्ध हुए हैं।
- महिला संस्थाओं को लेकर



किये गये सहायी के शिक्षा और सशक्तीकरण हस्तक्षेपों और सहायता न केवल सामाजिक/स्वैच्छिक कार्रवाई के क्षेत्र में, बल्कि स्वशासन और विकास में भी सैंकड़ों महिला नेताओं को तैयार किया जा सका है।

- सहायी ने राज्य में स्वैच्छिक कार्रवाई और स्थानीय अभिशासन की संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक क्षमता-निर्माण और प्रबंधन सहायता प्रदान करने हेतु सैंकड़ों सहभागी प्रशिक्षण, संदर्भ व्यक्ति और कार्यकर्ता तैयार किये हैं।
- स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में संस्था द्वारा प्रोन्नत किये गये सफल प्रयोग और सुशासन के तौर-तरीके जो उसने चुनाव-पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान, चुनावों में खड़ी होने वाली संभावित महिला उम्मीदवारों के क्षमता-निर्माण, संसाधन/जानकारी केंद्रों की स्थापना, स्थानीय अभिशासन की जानकारी और समाचारों को सुलभ कराने में सहायता के लिए नये बोर्डों की स्थापना, आदि के क्षेत्र में अपनाये – राज्य में सरकार और गैर-सरकारी एजेंसियों के लिए मॉडल बन चुके हैं; और इन संस्थाओं में से अनेक ने इन अनुभवों को दोहराया है।
- राज्य में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में नीतिगत एडवोकेसी के प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आये हैं जिनके फलस्वरूप 1994 में अधिनियमित केरल पंचायती राज तथा नगरपालिका अधिनियम के अनेक प्रावधानों में संशोधन किये गये।
- नवाचारपूर्ण (इनोवेटिव) पद्धतियों और उपकरणों का उपयोग करते हुए ग्राम सभाओं/वार्ड सभाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक अभियान ने स्थानीय जनतांत्रिक अभिशासन और विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी की प्रासंगिता के बारे में नागरिकों को संवेदित करने और शिक्षित करने की स्थिति में पर्याप्त बदलाव आया; और इस तरह इससे सैंकड़ों ग्राम सभाओं/वार्ड सभाओं में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी में सुधार लाने में मदद मिली।
- संस्था द्वारा तैयार और प्रसारित की गई शैक्षिक/प्रशिक्षण सामग्री और अध्ययन निष्कर्षों आदि को व्यापक रूप से एक माना जाता है।
- केरल के कोल्लम में अल्लपड़ ग्राम पंचायत में सुनामी से प्रभावित परिवारों को राहत, पुनर्वास आदि के लिए भागीदारीपूर्ण और परिस्थिति की (इकॉलोजी) के अनुकूल पद्धतियां अपनाई गईं। यह केवल अनेक अन्य संस्थाओं द्वारा दोहराया गया एक सफल प्रयोग था, बल्कि यह एक स्थायित्वपूर्ण प्रयास भी सिद्ध हुआ। प्रभावित समुदाय के प्रशिक्षित वालंटियरों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने वाला मनो-सामाजिक (साइको-सोशल) पुनर्वास कार्यक्रम अपनी प्रकृति से न केवल नवाचारपूर्ण था, बल्कि व्यवहार में स्थायित्वपूर्ण भी था। प्रभावित समुदाय में बच्चों और युवाओं को प्रदान की गई विपदा तैयारी सहायता के फलस्वरूप भविष्य की विपदाओं के विपरीत प्रभावों का शमन करने की कार्य-क्षमता में वृद्धि हुई।

फंडिंग का ढांचा

पिछले वर्षों में सहायी के फंडिंग ढांचे में बदलाव आया है। शुरू में संस्था ने प्रिया, नई दिल्ली और जर्मन एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन (IZ/DVV), जर्मनी से सहयोग और वित्तीय सहायता से कार्य करना आरंभ किया। इसके साथ ही संस्था ने सीईवीईएमओ / कोर्डिएंड, नैदरलैंड्स; ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली; श्री रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई, कामनवैल्थ फाउंडेशन, लंदन; माल्टेसर इंटरनेशनल, जर्मनी; वन टु वन चिल्ड्रन फंड, ब्रिटेन आदि के साथ सहयोग से कार्य किया। हालांकि केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ साझेदारी रही, पर राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ अधिक साझेदारी नहीं रह पाई। इस समय संस्था की निधि का प्रमुख स्रोत कंसल्टेंसी सहायता के माध्यम से स्थानीय निधियों का सृजन है। हाल ही में संस्था ने केरल में खाद्य पुनर्वास हस्तक्षेपों के लिए चैरिटीज एड फाउंडेशन (कैप) के साथ सहयोग आरंभ से किया है। उनका कहना है कि साझेदारी पद्धति में स्थायित्वपूर्ण तरीके से पर्याप्त निधियां उपलब्ध करना संस्था के सामने उपस्थित एक मुख्य बाधा है।

केरल में सीएसओज के लिए आंतरिक निधियां जुटाने की संभावना सीमित है और अधिकतर फंडिंग एजेंसियां राज्य से चली गई हैं तथा उन्होंने सहायता प्रदान करनी बंद कर दी है। फंडिंग का अभाव संस्था के सामने एक बहुत बड़ी मुख्य चुनौती है।

स्थिरता के मॉडल

अपने स्पष्ट विजन, मिशन और लक्ष्यों के साथ संस्था ने आजीवन अधिगम (लर्निंग), स्वैच्छिक / सामाजिक कार्वाई, अभिशासन और विकास में हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए गत वर्षों में उभरते मसलों को हल करने के लिए लचीली पद्धतियां या दृष्टिकोण विकसित किये हैं। इससे न केवल इसके हस्तक्षेपों को प्रसांगिक बनाने में मदद मिली है, बल्कि सरकार और सीएसओ समुदाय द्वारा इसके सफल प्रयोगों को दोहराने में भी सहायता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संपर्क और नेटवर्किंग संस्था द्वारा अपनाया गया स्थायित्व का एक दूसरा मॉडल है। प्रभावकारी एमआईएस, टीम की भावना और संस्था की टीम की कार्य-क्षमता सहायी का एक स्थायित्वपूर्ण मॉडल है।

पारदर्शिता और जवाबदेही हितधारक समूहों के साथ विश्वास निर्माण के साथ अपने कार्यों और कार्यकलापों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सहायी द्वारा स्थायित्व के लिए अपनाई गई एक अन्य रणनीति है। नियोजन से लेकर मूल्यांकन तक सभी स्तरों पर संस्था अपनाये और प्रोन्नत किये गये दृष्टिकोण स्थायित्व का एक मॉडल है। संस्था का मानना है कि स्थायित्व को बनाये रखने के लिए कोर्पस निधियां तैयार करना और अधिकतम स्थानीय संसाधनों का सृजन करना स्थायित्व सुनिश्चित करने की एक दूसरी महत्वपूर्ण जरूरत है।

एसओएस चिल्ड्रन्स विलेजिज ऑफ इंडिया

इतिहास

"एसओएस चिल्ड्रन्स विलेजिज ऑफ इंडिया" की स्थापना 1964 में की गई थी। यह इस विजन के साथ संचालित एक गैर-सरकारी, अलाभकारी, स्वैच्छिक बाल देखरेख संस्था है हर बच्चे का एक परिवार होना चाहिए और उसे प्यार सम्मान तथा सुरक्षा के साथ विकसित होने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। अनाथ, त्यागे हुए और निर्धन बच्चों को प्रतिबद्धतापूर्ण देखरेख और सेवाएं प्रदान करने के 52 वर्ष के अनुभव के साथ एसओएस चिल्ड्रन्स विलेजिज ऑफ इंडिया 22 राज्यों में 32 परियोजनाओं के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति वाली गैर-सरकारी संस्था है। संस्था 25,000 बच्चों को सीधी देखरेख प्रदान करती है। अपनी स्थापना के समय से ही संस्था देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को परिवार आधारित देखरेख (FBC) कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा घरेलू वातावरण प्रदान करती रही है जहां बच्चे भाई-बहनों के साथ माता द्वारा पोषित होकर विकास कर सकें।



A loving home for every child

गत वर्षों की उपलब्धियां

संस्था मुख्यतः दो प्रकार के कार्यक्रम संचालित करती है: परिवार-आधारित देखरेख और परिवार सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (FSP)। इन दो कार्यक्रमों के माध्यम से संस्था काफी कुछ हासिल करने में सफल रही है।

परिवार-आधारित कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें माता-पिता की देखरेख से वंचित बच्चों को एसओएस माताओं के संरक्षण और देखरेख में रखा जाता है। वर्ष 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में एफडीसी के अंतर्गत शामिल बच्चों की संख्या 2017 थी जबकि 2011 में ऐसे बच्चों की संख्या 6,568 थी। वर्ष 2017 में 280 बच्चों की व्यवस्था की गई जबकि 2011 में 137 की। वर्ष 2017 में युवा रोजगार 181 रहे जबकि 2011 में यह आंकड़ा 107 का था।

परिवार सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (एफएसपी) के अंतर्गत निर्धन और असुरक्षित समुदायों के परिवारों और समुदायों को लेकर काम किया जाता है। इससे विधवाएं और निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार शामिल हैं। एफएसपी की दोहरी पद्धति बच्चों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है जैसे कि शिक्षा और पोषण; इसके साथ ही यह महिलाओं का सशक्तीकरण



करती है ताकि वे अपने बच्चों का संरक्षण और देखरेख कर सकें और आत्म निर्भर बन सकें। वर्ष 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में बच्चों की कुल संख्या 19,041 थी जबकि वर्ष 2011 में यह 16,634 थी। सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की संख्या वर्ष 2011 में 382 से बढ़कर 2017 में 546 हो गई।

फंडिंग का ढांचा

पिछले 10 से 15 वर्षों में संस्था के फंडिंग के ढांचे में बदलाव आया है। पहले संस्था को अधिक अंतर्राष्ट्रीय निधि प्राप्त होती थीं। घरेलू रूप से भी अधिकतर निधियां व्यक्तिगत प्रयोजकर्ताओं से एकत्र की जाती थीं। अब इस क्षेत्र में आये बदलाव के साथ सीएसआर निधियों में वृद्धि हुई है। संस्था के पास 50 प्रतिशत निधियां व्यक्तिगत प्रयोजकर्ताओं से जुटाने के लिए संस्था अन्य नई रणनीतियों का उपयोग भी करती है। डिजिटल निधि संग्रह, "क्राउड फंडिंग और सामाजिक मीडिया का उपयोग करते हुए जागरूकता निर्माण आदि जागरूकता पैदा करने और निधियां एकत्र करने के कुछ नये तरीके हैं।

स्थिरता के मॉडल

संस्था में स्थायित्व की मुख्य चालक शक्ति स्थायित्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। कुछ संस्थाएं प्राप्त होने वाली निधियों के आधार पर योजनाएं बनाती हैं। एसओएस चिल्ड्रन्स विलेजिज ऑफ इंडिया का मानना है कि क्षेत्र में बने रहने का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड अपने कार्यक्रमों को स्थिर या स्थायित्वपूर्ण बनाना है। कार्यक्रमों को क्षमता-निर्माण और समुदाय तथा समाज के बीच विश्वास पैदा करके स्थायित्वपूर्ण बनाया जा सकता है। मात्रा के रूप में प्राप्त कार्य के परिणाम संस्था को लम्बे समय तक स्वैच्छिक क्षेत्र में सफल रहने में मदद करते हैं। कार्यक्रमों को स्थायित्वपूर्ण बनाने का संस्था का दूसरा तरीका सरकार के साथ साझेदारी का निर्माण करना है। संस्था का मानना है कि वह सरकार का स्थान नहीं ले रही है, बल्कि समाज के उत्थान के लिए सरकार के साथ कार्य कर रही है। समाज में प्रभाव को बढ़ाने के लिए सरकार और अन्य संस्थाओं के क्षमता-निर्माण से क्षेत्र में टिके रहने में मदद मिलती है।

यह देखा गया है कि सरकार भी अपना क्षमता-निर्माण करने के लिए संस्था की सहायता करती है। एसओएस चिल्ड्रन्स विलेज ऑफ इंडिया एक कार्यान्वयनकर्ता संस्था है और इसलिए उसकी हर परियोजना की एक मजबूत मानीटरिंग और मूल्यांकन पद्धति होती है।

ब्रांड की दृष्टिगोचरता या विजिबिलिटी का विस्तार करने से स्थायित्व का निर्माण करने में मदद मिली है। एसओएस चिल्ड्रन्स विलेजिज ऑफ इंडिया का मानना है कि अनुदानकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए संस्था को हितधारकों के साथ प्रभावकारी संप्रेषण करना चाहिए। संस्था को अपने कार्य के बारे में लोगों को बताना चाहिए। संस्था अपने कार्य का प्रदर्शन ब्लॉग और अपने बच्चों की सफलता की कहानियां लिखती और प्रकाशित करती है। इससे अंततः निधियों के विकास में योगदान होगा।

मानव संसाधन स्थायित्व का एक दूसरा कारण है। कोई भी संस्था उतनी ही अच्छी होती है जितने अच्छे उसके लोग होते हैं। संस्था यह मानती है कि सहकर्मियों को अपनी क्षमताओं का विकास करने में मदद प्रदान की जानी चाहिए। संस्था का यह दृढ़ विश्वास है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इससे उनमें नेतृत्व के कौशल विकसित होंगे। मजबूत प्रेरक साधन और जवाबदेही की मैकट्रिक्स तैयार करने से लोगों को बेहतर रूप से कार्य करने में मदद मिलती है जिससे संस्था को समग्र सफलता प्राप्त होती है।

सहभागी शिक्षण केंद्र (एस.एस.के.)

इतिहास

सहभागी शिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1990 में लखनऊ में हुई थी। सहभागी शिक्षण केंद्र उत्तर भारत में और विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में कार्य करती है। 1970 के दशक के अंत में सामाजिक विकास के लिए देश भर में सामाजिक आंदोलनों का प्रसार हुआ था। संस्थाओं में प्रबंधन का अभाव था जिससे विकास में बाधा आ रही थी। इसलिए जमीनी स्तर की संस्थाओं की क्षमता को मजबूत बनाने के विजन के साथ एक सहायता संगठन के रूप


में सहभागी शिक्षण केंद्र की स्थापना की थी। आरंभ में संस्था ने उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार में अपने कार्य को केंद्रित किया। सहभागी शिक्षण केंद्र कौशल-निर्माण, शिक्षा और साक्षरता, सुशासन, संस्थागत क्षमता निर्माण, प्रवासन और महिला सशक्तीकरण आदि के क्षेत्र में कार्य करता रहा है। वह अपने साझेदारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आयोजित करके क्षमता-निर्माण सहायता प्रदान करता है।



गत वर्षों की उपलब्धियां

- पिछले 25 वर्षों में 1400 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- इन प्रशिक्षणों के माध्यम से गैर सरकारी संस्थाओं पंचायती राज संस्थाओं, आदि के 35,000 से भी अधिक लोगों का क्षमता-वर्धन हुआ।
- 115 से अधिक प्रशासन/माड्यूल/मैनुअल तैयार किये गये।
- पिछले 25 वर्षों में 66 से अधिक शोध अध्ययन/केस स्टडीज/प्रक्रिया दस्तावेजीकरण प्रकाशित किये गये
- दो राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम हस्तक्षेप (उत्तर प्रदेश और अब झारखण्ड में)
- उत्तर प्रदेश और झारखण्ड में 250 से अधिक ग्राम पंचायतों तक सीधे-सीधे पहुंच बनाई गई।

- 130 माइंड फैलोज को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।
- छोटी संस्थाओं की नई पहलकदमियों के लिए 80 लाख रुपये की लघु फंडिंग सहायता/फैलोशिप/लघु अनुदान सहायता/ कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर सहायता प्रदान की गई।



फंडिंग का ढांचा

बदलते समय के साथ संस्था के फंडिंग ढांचे में भी बदलाव आया है। पहले संस्था पूरी तरह से विदेशी फंडिंग पर निर्भर थी। पर अब स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने उपस्थित अनेक सीमाओं को देखते हुए संस्था सीएसआर फंडिंग प्राप्त कर रही है। वर्तमान में संस्था 20 प्रतिशत विदेशी फंडिंग और 80 प्रतिशत सीएसआर फंडिंग प्राप्त कर रही है। संस्था के फंडर्स में उषा, रिलाइंस, जर्मन कारपोरेशन, युनिसेफ, टाटा ट्रस्ट्स, यूएनडीपी और कोरियन नेशनल कमीशन आफ यूनेस्को शामिल हैं।

स्थिरता के मॉडल

सहभागी शिक्षण केंद्र के स्थायित्व की प्रमुख चालक शक्ति उसकी आंतरिक प्रबंधन प्रणालियां हैं। संस्था का मानना है कि संस्था का उपयुक्त प्रबंधन उसकी विश्वसनीयता का, वित्त और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का मुख्य संकेतक होता है। यह निधियां प्राप्त करने के अधिक अवसर प्रदान कर सकता है और साथ ही क्षेत्र में लम्बे समय तक टिके रहने का एक संकेतक हो सकता है।

संस्था की 80 प्रतिशत फंडिंग सीएसआर से प्राप्त होती है; संस्था का मानना है कि वेबसाइटों को समय–समय पर अपडेट करते रहना चाहिए और अनुदानकर्ताओं को आकर्षिक करने की ब्रांडिंग महत्वपूर्ण है।

संस्था के स्थायित्व का एक दूसरा संकेतक है उसके द्वारा अपनी कोर्पस निधि को बनाये रखना। यह इस तरह की निधि है जो गाड़े वक्त में संस्था के काम आती है और बुनियादी व्ययों के लिए रखी जाती है। संस्था कोर्पस निधि को बनाये रखने में विश्वास करती है। और उसका सुझाव है कि लागत में कमी लाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए प्रथम बुक्स एक गैर-लाभकारी संस्था है और पुस्तक पाठक को प्रोत्साहित करती है। अतः वह पुस्तकें 30 रुपये के न्यूनतम दाम पर उपलब्ध कराती है।

उन्नति आर्गेनाईजेशन फॉर डवलेपमेंट एजुकेशन

इतिहास

उन्नति संस्था की स्थापना अधिकारों और हकदारियों के मुद्दों पर कार्य करने वाली छोटी और नई गैर-सरकारी संस्थाओं की क्षमता के निर्माण के लिए वर्ष 1990 में की गई थी। 1990–95 के दौरान उन्नति ने निम्नलिखित मुद्दों पर क्षमता-निर्माण का कार्य किया: (क) असुरक्षा विश्लेषण, सामाजिक न्याय और जेंडर; (ख) भागीदारीपूर्ण नियोजन; (ग) सांगठनिक और वित्तीय प्रबंधन; (घ) कार्यक्रम

मानीटरिंग और डाक्यूमेंटेशन; (ङ) संसाधनों की लामबंदी। इन वर्षों के दौरान देश में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आये। एक था – उदारीकरण (ढांचागत सामायोजन कार्यक्रम) और दूसरा था विकेंद्रीकरण (73वां और 74वां संविधान संशोधन)। इनकी वजह से संस्था ने



शोध-आधारित एडवोकेसी और विकेंद्रित अभिशासन के सुदृढीकरण और जवाबदेही के क्षेत्र में कार्य आरंभ किया। उन्नति विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के साथ इन मुद्दों पर साझेदारी को जारी रखे हुए है। इस नये बदलाव ने उन्नति को एक सहायता संगठन से बदलकर रणनीति संगठन बनाया। वर्ष 2002 के गुजरात भूकंप के दौरान उन्नति संस्था ने राहत और पुनर्वास कार्य किया। इस समय उन्नति के तीन कार्यक्रम-क्षेत्र हैं: सामाजिक समावेश और सशक्तीकरण; अभिशासन और सामाजिक जवाबदेही तथा विपदा जोखिम में कमी। अगर कार्य क्षेत्र की दृष्टि में देखें तो उन्नति संस्था गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कार्य करती है। कभी-कभी उसे भारत के दूसरे राज्यों में भी कार्य करना पड़ता है।

गत वर्षों की उपलब्धियां

- उन्नति के अधिकारों और हकदारियों को लेकर सहभागी शोध और अभियानों के कार्य में गुजरात और राजस्थान की गैर-सरकारी संस्थाओं/नागरिक समाज संस्थाओं के साथ साझेदारी रही है।
- संस्था अभिशासन और जवाबदेही में सुधार पर क्षेत्र परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है। अन्य अनेक

उन्नति

परियोजनाओं के अलावा उन्नति संस्था इस समय सीधे–सीधे यूरोपीयन संघ द्वारा प्रदान की गई दो परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। एक परियोजना सार्वजनिक कार्यक्रम प्रदायगी पर और दूसरी जल अभिशासन में सुधार पर है।



- संस्था ने वर्ष 2010–14 के दौरान गुजरात सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के सामाजिक आडिट के लिए संस्थागत ढांचा और कार्यगत कार्यतंत्र तैयार किया। संस्था ने गुजरात सरकार के चुने हुए विभागों की उद्घाटन तौर–तरीकों (प्रैविटसिज) की समीक्षा की।
- उन्नति ने गुजरात के भूकंप, दक्षिण भारत में सुनामी, बिहार में कोसी में बाढ़, गोरखा (नेपाल) ओनर चालित पुनर्निर्माण और कई अन्य विपदाओं के दौरान राहत का कार्य किया। संस्था ने एनडीएमपी पर आयोजित विभिन्न परामर्शों में भाग लिया और राष्ट्रीय विपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ राष्ट्रीय विपदा प्रबंधन योजना की तैयारी और संशोधन में भाग लिया। उन्नति ओनर चालित पुनर्निर्माण कोलेबोरेट के मुख्य समूह की सदस्य है।
- संस्था हितधारक सहभागिता, जेंडर मुख्य धाराकरण (जेंडर मैनस्ट्रीमिंग), सहभागितापूर्ण शोध और सांगठनिक विकास के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के साथ कार्य करती है। इसने व्यापक प्रकार की संस्थाओं के लिए परामर्श भूमिका निभाई है जैसे कि राजस्थान में दलित अधिकार अभियान, कच्छ नव–निर्माण अभियान, गुजरात और जेंडर संसाधन केंद्र, गुजरात, विकेंद्रित अभिशासन के लिए राष्ट्रीय मंच और साथ ही सहभागी शोध, निर्धनता और जेंडर के विषयों पर एंटरप्रेन्योर डेवपमेंट इंस्टीट्यूट (ईडीआई) जैसी शैक्षिक संस्थाएं।

फंडिंग का ढांचा

पहले संस्था की फंडिंग का ढांचा मिलाजुला होता था। इसमें विदेशी फंडिंग और सरकारी अनुदान तथा यूएनडीपी, और यूनिसेफ जैसे संस्थाओं से अनुदान शामिल थे। उन्नति ने अपने 15 प्रतिशत संसाधन परामर्श सेवाओं से अर्जित किये हैं; जैसे कि मूल्यांकन, प्रशिक्षण और डाक्यूमेंटेशन। पिछले 5–6 वर्षों में उन्नति ने

यूरोपीयन यूनियन के पास प्रस्ताव भेजे हैं। उसे अपने दो परियोजना प्रस्तावों के लिए यूरोपीयन यूनियन से पांच-पांच वर्षों के लिए वित्त प्राप्त हुए हैं। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाओं और सरकार के अनुदानों में जबर्दस्त गिरावट आई है। इस समय उन्नति संस्था यूएनडीपी नेपाल को एवार्ड की गई भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त भूकंप पुनर्निर्माण परियोजना में अग्रणी सामाजिक फेसिलिटेशन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

स्थिरता के मॉडल

उन्नति का मानना है कि जो गैर-सरकारी संस्थाएं हकदारियों या अधिकारों के मुद्दों पर कार्य करती हैं वे वित्तीय स्थिरता या स्थायित्व हासिल नहीं कर सकतीं। यह कार्य परियोजना अनुदान पर निर्भर होता है। संस्था के स्थायित्व की मुख्य चालक शक्ति उच्च जन विश्वसनीयता; संस्थागत रणनीतिक प्रासंगिकता के बनाये रखना और प्रतिबद्ध कर्मचारियों और गवर्निंग बोर्ड हैं। पिछले 30 वर्षों में हालांकि उन्नति में तीन रणनीतिक बदलाव आये हैं, पर वह अपने को प्रासंगिक बनाये रखने के लिए सचेत रूप से नये साधनों का उपयोग करती है। अपने कार्यक्रमों या हस्तक्षेपों की विनियमित (रेगुलेट) करती है। संस्था का हर सदस्य लागत को कम करने और संसाधनों का कार्यक्षम रूप से उपयोग करने में विश्वास करता है। परामर्श सेवाओं से प्राप्त संसाधनों का उपयोग पूर्ण रूप से संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर और परियोजनाओं के योगदान हेतु सहायता के लिए किया जाता है।

उन्नति संस्था नैतिक स्रोतों से संसाधन जुटाने में विश्वास करती है। क्योंकि उन्नति की सार्वजनिक विश्वसनीयता काफी उच्च है इसलिए उसे हमेशा सहायता हेतु साझेदार प्राप्त होते रहे हैं। उन्नति एक अनुदानकर्ता पर निर्भर नहीं है, बल्कि अनेक अनुदानकर्ताओं पर निर्भर करती है, जैसे कि व्यक्तिगत अनुदानकर्ता, निगमित क्षेत्र, सरकारी अनुदान, आदि।

प्रतिबद्ध कर्मचारी और बोर्ड मिशन तक पहुंचने में संस्था के कार्य को स्थायित्वपूर्ण बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्नति अपनी उच्च पेशेवर कार्य और पारदर्शी प्रणालियों तथा कार्य के तौर-तरीकों के साथ एक समान अवसर वाली संस्था बनी रहने के लिए प्रयास करती है। तो इस तरह एक मजबूत मिशन और मूल्य-चालित संगठन, प्रतिबद्ध और पेशेवर कर्मी तथा सार्वजनिक विश्वसनीयता उन्नति के टिके रहने या उसे स्थायित्व प्रदान करने का स्रोत है।

युवा ग्रामीण एसोसिएशन (वाईआरए)

इतिहास

युवा ग्रामीण एसोसिएशन (वाईआरए) की स्थापना वर्ष 2002 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई थी। यह एक क्षेत्रीय संस्था थी जो अपना कार्य गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करती रही है और इसका दूरगामी लक्ष्य या विजन है मानव अधिकारों के साथ एक अधिकार संपन्न तथा सक्षम समाज का निर्माण करना। संस्था जाति, धर्म, क्षेत्र, जेंडर आयु और भाषा के आधार पर भेदभाव किये बिना मानव अधिकारों, समानता, शांति, न्याय और सुरक्षा के मूल्यों में विश्वास करती है। पिछले 16 वर्षों में युवा ग्रामीण एसोसिएशन (वाईआरए) ने विशेषकर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आजीविका, जेंडर और अभिशासन के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश (बैतुल, सिओनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले), गुजरात (रापर और पाटण जिले) तथा महाराष्ट्र विध्य क्षेत्र के 8 जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में सफल कार्य किया है। संस्था द्वारा की गई पहलकदमियां भारी संख्या में ग्रामीण निर्धनों के लिए लाभप्रद



रही हैं। संस्था ने व्यापक कार्यकलाप हाथ में लिये हैं जिनमें निर्धनों के लिए आजीविका के अवसर तैयार करने से लेकर महिलाओं बच्चों की हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव के अन्य रूपों से महिलाओं और बच्चों सहित, असुक्षित सप्रदायों की सुरक्षा तथा नीतिगत एडवोकेसी लाबीइंग के माध्यम से आम लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराना तक शामिल हैं। संस्था जिन समूहों पर ध्यान केंद्रित करती है, उनमें छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, दलित, आदिवासी, महिलाएं, बच्चे, युवा और एचआई/एडस के साथ जीने वाले लोग शामिल रहे हैं। इस समय यह संस्था विदर्भ क्षेत्र के आठ जिलों और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में एक जिले पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्था का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। वर्तमान रणनीतिक योजना के अनुसार हस्तक्षेप के अंतर्गत आजीविका, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, गुणवत्तापूर्ण

शिक्षा, स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य, आय जनन; सामाजिक समानता, जेंडर समानता, पर्यावरण की स्थिरता की दृष्टि से उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। संस्था की रणनीतिक अभिमुखता प्रत्यक्ष समुदाय और भागीदारी के लिए जन संस्थाओं का निर्माण और यह अभिमुखता (ओरिएंटेशन) अभी भी जारी है।

गत वर्षों की उपलब्धियां

- लगभग 335 महिला बेयरफुट कौंसलीज, 290 अर्ध चिकित्सा कर्मियों का प्रशिक्षण। हजारों पंचायत सदस्य और अन्य हजारों महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, सभी अपनी भूमिका निभाने में सक्रिय है।
- 13 गांवों में 213 किसानों की लगभग 769 एकड़ भूमि को संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाया गया जिसे किसान परिवारों की आय प्रति परिवार 50,000 रुपये वार्षिक की दर से बढ़ गई।
- नागपुर शहर में दो महिला कोऑपरेटिव ऋण सोसाइटियों के रूप में 7500 स्वयं सहायता समूहों को एक साथ लाया गया जिससे महिलाओं को ऋण सुविधाएं प्राप्त कराने में मदद मिली।

फंडिंग का ढांचा

समय के साथ संस्था के फंडिंग ढांचे में बदलाव आया है। पहले संस्था 90 प्रतिशत विदेशी फंडिंग पर निर्भर थी, पर अब संस्था की विदेशी फंडिंग 2 प्रतिशत है। पहले 5 प्रतिशत फंडिंग राज्य सरकार से प्राप्त होती थी। बदलते रुझानों के साथ संस्था ने अपनी फंडिंग में बदलाव किया और वह 98 प्रतिशत फंडिंग निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से प्राप्त कर रही है। संस्था के कुछ पिछले और वर्तमान अनुदानकर्ता इस प्रकार रहे हैं – ऑक्सफैम इंडिया, स्विसएड इंडिया, यूनिसेफ, आईएफएडी, कर्नाटक स्वास्थ्य प्रोन्नत ट्रस्ट (केएचपीटी), रंगूनवाला फाउंडेशन, दिलासा, वासन (डब्ल्यूएसएसएएन), ब्रैड फार दि वल्ड, यूएनडीपी, एचडीएफसी बैंक, एफडीबीएफएस, एडेलगिव फाउंडेशन आदि; और साथ ही अनेक सरकारी विभाग जैसे कि महिला एवं बाल विकास विभाग, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय और जल एवं स्वच्छता विभाग।

स्थिरता के मॉडल

यह संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र में सफलता और उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ती रही है, उसकी अनेक चालक शक्तियां हैं। संस्था का मानना है कि किसी भी संस्था के लिए रणनीतिक योजना तैयार करना आवश्यक है। हर तीन से पांच साल में संस्था इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतिक योजना बनाती है कि "हम जो कार्य करते हैं वो कार्य हम क्यों करते हैं? संस्था अपना स्बोट (एसडब्ल्यूओटी) यानी शक्तियों, कमजोरियों,

अवसरों और खतरों का विश्लेषण करती है। इसके साथ ही संस्था आंतरिक वास्तविकता जांच, पर्यावरण विश्लेषण करती है और तदनुसार ही अपनी आगे की रणनीतियां तैयार करती है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार संस्था यह फैसला करती है कि किस प्रकार की कार्रवाई करनी है और समुदाय की जरूरतों क्या हैं।



दूसरे, संस्था मानव संसाधनों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। संस्था अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करती है और उन्हें विभिन्न राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भेजती है। वे मिलकर आंतरिक क्षमता-निर्माण को मजबूती प्रदान करते हैं। संस्था अपने कर्मचारियों की सोच-समझ, कौशलों और स्व-जागरूकता को लेकर भी कार्य करती है। संस्था का मानना है कि मानव संसाधन के बिना कोई भी संस्था फलदायक रूप से कार्य नहीं कर सकती।

एक अन्य चालक शक्ति है संस्था की मजबूत प्रणालियां – चाहे वह वित्तीय प्रणाली हो, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली हो या लेखा प्रणाली हो। संस्था जवाबदेही में विश्वास करती है और समय पर रिपोर्ट जमा करती है। इस क्षेत्र में पारदर्शिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और इससे पता चलता है कि संस्था की विश्वसनीयता कितनी है और वह समाज के लिए क्या कार्य करती है।

संस्था मजबूती से सामूहिक निर्णय को एक रणनीति मानती है। उसका मानना है कि संस्था में जानकारीयुक्त निर्णय और सामूहिक साझेदारी संस्था के सफल संचालन का एक महत्वपूर्ण साधन है। संस्था के हर सदस्य को समुदाय की जरूरतों और संस्था के अगले कदम के बारे में अपने विचार और सोच प्रस्तुत करने का अधिकार है।

वाईआरए की कर्मचारी नीति, लेखा और वित्तीय नीति, जेंडर नीति, टकराव समाधान नीति, यौन उत्पीड़न संबंधी नीति जैसी सांगठनिक नीतियां उसे एक मजबूत मूल्य प्रणाली विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

स्वैच्छिक क्षेत्र में टिके रहने के लिए संस्थाएं विभिन्न स्थायित्व दृष्टिकोणों को अपनाती हैं। ये संस्थाएं क्षेत्र में लम्बे समय से रही हैं और उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया है और बदलते समय के साथ उनका मुकाबला किया है। अतः अपने लक्ष्यों के बदले बिना बदलावों से निबटने से संस्था को स्वैच्छिक क्षेत्र में बने रहने और समाज के सीमांतीकृत हिस्सों के लिए काम करने में मदद मिलती है। जैसा कि कहा जा चुका है, कई ऐसी संस्थाओं को जो प्रबंधनों के बदलते वातावरण के अनुसार अपने को ढाल और बदल नहीं पाई हैं – अपनी सांगठनिक क्षमता के अनुसार एक रणनीति अपनानी चाहिए।

आगे का रास्ता

पिछले अध्याय में स्थायित्व के उन विभिन्न मॉडलों के बारे में बताया गया है जिन्हें भारतीय संस्थाओं ने अपनाया है। संस्था का टिकाऊपन या स्थायित्व इस तथ्य पर निर्भर करता है कि संस्था अपने लक्ष्यों को बदले बिना किस प्रकार स्वैच्छिक क्षेत्र में टिकी रहती है। इन चुनी हुई संस्थाओं ने ये दृष्टिकोण अपनाये हैं और उनका दूसरों से भी आग्रह है कि क्षेत्र में बने रहने के लिए इन दृष्टिकोणों और पद्धतियों को अपनायें।

जैसा कि हमने देखा है सभी संस्थाएं समुदाय – केंद्रित दृष्टिकोण पर विश्वास करती हैं। वे समुदायों को समझ कर और उनके साथ बने रह कर समुदाय की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने में विश्वास करती हैं और उसके बाद अपनी पहलकदमियां और हस्तक्षेप कार्यक्रम तैयार करती हैं। कई संस्थाएं समाज के सीमांतीकृत भागों को लामबंद करके उनके लिए कार्य करती हैं। उनका मानना है कि समुदाय के साथ विश्वास जमाना और संबंध बनाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यही समुदाय के जीवनों में बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम है। समुदाय—आधारित संगठनों को मजबूत बनाना लम्बे समय तक टिके रहने की उनकी रणनीति है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मॉडल है—रणनीतिक नियोजन। रणनीतिक नियोजन किसी भी संस्था को क्षेत्र के बदलते रुझानों की समझ के साथ—साथ नई चीजों और पहलकदमियों का अन्वेषण करने का रास्ता बताता है। इन संस्थाओं का मानना है कि क्षेत्र की सभी संस्थाओं को 4–5 वर्षों के लिए रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि आंतरिक रूप से उनकी शक्तियां और कमजोरियां क्या हैं और बाहरी रूप से उनके खतरे और अवसर क्या हैं। संस्था को अपने विजन और मिशन के अनुसार अपने कार्यकलापों की योजना बनानी चाहिए और समय पर इस योजना को अंजाम देना चाहिए। इससे संस्था की समस्याओं का मानचित्रण करने में मदद मिलती है।

एक अन्य मॉडल है मानव संसाधनों का क्षमता—निर्माण करना। संस्था के टिकाऊपन या स्थायित्व की दृष्टि से मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण तत्व है। कुशल और सक्षम मानव संसाधन के बिना संस्था लम्बे समय तक टिक नहीं सकती। इन संस्थाओं का मानना है संस्था को युवा पीढ़ी के विचारों को स्वीकार करने के लिए खुलापन अपनाना चाहिए। संस्था में प्रशिक्षित और युवा सदस्यों के मेल से संस्था को क्षेत्र में नये विचारों को कार्यान्वित करने में मदद मिलती है। संस्था को अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय और कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजना चाहिए ताकि वे यह जान सकें कि कोई संस्था किस प्रकार कार्य करती है।

कई संस्थाएं आंतरिक प्रणाली प्रबंधन को बनाये रखने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अपने रिकार्ड संचारित करने से संस्था को अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने में मदद मिलती है। इसे विशेष रूप से निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) वाली परियोजनाओं में बनाये रखना महत्वपूर्ण होता है। एक मजबूत प्रणाली से समाज में विश्वास बनाने और संबंध विकसित करने में मदद मिलती है। न केवल इस कार्य को मान्यता प्राप्त होती है,

बल्कि संस्था की विश्वसनीयता का मापन भी होता है। सीएसआर फंडिंग के लिए अपनी वेबसाइट्स को अपडेट किये रखना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे उन संस्थाओं को प्राथमिकता देते हैं जिनका स्वैच्छिक क्षेत्र में नाम होता है। इसके साथ मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) और लेखा या वित्तीय प्रणाली को बनाये रखना भी महत्व रखता है। इनसे संस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अगर आंतरिक प्रणाली को बनाये रखा जाये और अपने वेबसाइट्स को अपडेट करते रहा जाये तो ब्रांडिंग का आधा काम हो जाता है। बाकी कार्य सफलता की कहानियों के रूप में; संस्था द्वारा लाभार्थियों के जीवन पर डाले गये प्रभाव को प्रकाश में लाकर किया जा सकता है। संस्था की ब्रांडिंग करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्षेत्र में संस्था का कार्य प्रकाश में आता है।

संस्थाओं का मानना है कि अनेक अनुदानकर्ताओं का होना एक अन्य मॉडल है। पहले संस्थाएं केवल एक अनुदानकर्ता पर और अधिकतर विदेशी फंडिंग पर निर्भर हुआ करती थीं। लेकिन एफसीआरए के नये रूप के अस्तित्व में आने के साथ ही संस्थागत फंडिंग में बदलाव आया है। अब वे एक अनुदानकर्ता पर कम निर्भर हैं और अनेक अनुदानकर्ताओं को चुनती हैं। अनेक संस्थाओं को दोहरे स्तर पर फंडिंग प्राप्त होता है अर्थात् स्वदेशी फंडिंग और सरकारी और सीएसआर फंडिंग। आज के दौर में संस्थाएं विभिन्न कार्यकलाप शुरू करके अपनी आय का सृजन कर रही हैं जिससे अनुदानकर्ताओं पर निर्भरता कम होती है।

अनेक संस्थाएं सांगठनिक संस्कृति और ढांचे पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सांगठनिक संस्कृति को बनाये रखने के लिए वे ऐसा कार्य वातावरण प्रदान करती हैं जहां कर्मचारी अपनी राय सामने रख सकें और विचार-विमर्श का अंग बन सकें। एक ही ग्रेड या श्रेणी के कर्मचारियों को समान वेतन देने से कार्य की एकता बढ़ती है। नये भरती हुए कर्मचारियों का अभिविन्यास संस्था का एक सर्वोपरि कार्य होना चाहिए। कर्मचारियों में निवेश करने से संस्था को अपने विकास करने और लम्बे समय तक टिके रहने में मदद मिलती है।

पुनः अन्वेषण एक ऐसा मॉडल है जिस पर अधिक संस्थाएं ध्यान केंद्रित नहीं करतीं। हॉलाकि यह भी महत्वपूर्ण है स्थितियों के साथ प्रयोग करने और विभिन्न हस्तक्षेपों को लेकर कार्य करने से संस्थाएं लम्बे समय तक टिक सकती हैं। संस्था के लक्ष्यों को बदले बिना समस्या से निबटना और उसका विश्लेषण करना अपने आप में एक कला है। उदाहरण के लिए एक संस्था मुस्लिमों के लिए कार्य कर रही है पर उनके अधिकारों के लिए विरोध आयोजित करने के बजाये वह मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पर बल देती है।

इस प्रकार अपने को टिकाये रखने और सरकार के प्रतिबंधनों तथा नियंत्रणों का सामना करने के लिए इन भारतीय संस्थाओं द्वारा अपनाये गये स्थायित्व के ये विभिन्न मॉडल हैं जिन पर यहां चर्चा की गई है। अगर क्षेत्र की सभी संस्थाएं इन दृष्टिकोणों को अपनायें तो क्षेत्र एक हो सकता है।

निष्कर्ष

स्वैच्छिकतावाद का विकास क्रम कोई नया नहीं था क्योंकि यह प्राचीन काल से मौजूद रहा। हमारी विभिन्न संस्कृतियां और धर्म परोपकारिता में और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम के पांच स्तंभों के अंतर्गत जकात की बात कही गई है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपनी कुल बचत का 2.5 प्रतिशत (सोने के तीन औंस के बराबर) समाज के जरूरतमंद और निर्धन तबकों के लिए दान करना जरूरी है। इसी तरह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार मनाये गये हर त्यौहार के मूल में परोपकारिता रही है। बदलते समय के साथ स्वैच्छिकतावाद के पहलुओं में बदलाव आया है। शुरू में स्वैच्छिक कार्य को सुख और भावना का मूल्य माना जाता था, जबकि आज यह एक पेशेवर क्षेत्र बन गया है।

अन्य क्षेत्रों से तुलना करें तो स्वैच्छिक क्षेत्र की छवि नकारात्मक बताई जाती रही है। अनेक रिपोर्ट्स से स्वैच्छिक क्षेत्र की मलिन छवि प्रस्तुत की गई है जिसकी वजह से स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए बने रहना कठिन हो गया है। पहले स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए रिकार्ड रखना जरूरी नहीं होता था, पर आज जब निधियों के दुर्लपयोग के मामले सामने आ रहे हैं, संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे रिकार्ड संचारित करेंगी। अब स्वैच्छिकतावाद एक पेशेवर क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा है जहां प्रबंधन पर भी संस्था की विश्वसनीयता के लिए विचार किया जाता है। जब संस्थाएं सरकार के सामने समुदाय के अधिकारों के बारे में प्रश्न उठाने लगी तो सरकार ने अपने आपको मुसीबत में पड़ा पाया। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने अनेक चुनौतियां पेश कर दीं। कई संस्थाओं के लिए विदेशी अनुदान फंडिंग का मुख्य स्रोत था। किन्तु नये एफसीआरए कानून के लागू होने के साथ ही विदेशी फंडिंग में कमी आ गई।

हमने भूमंडलीय स्तर पर और साथ ही भारतीय संदर्भ में स्थायित्व या टिकाऊपन के विभिन्न मॉडलों पर चर्चा की है। इनमें से कुछ भूमंडलीय परिदृश्य से लिये गये हैं; संस्थाओं को इन्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनाना होगा। कई संस्थाओं का मानना है कि कल्याण योजनाएं – जिनका लाभार्थियों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता – बनाने से पहले सरकार उनके साथ परामर्श नहीं करती। जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली संस्था समुदाय की वास्तविकता को समझती है; पर सरकार फिर भी स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ संबंध नहीं बनाती। इस तरह स्वैच्छिक क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है जिसकी विकास में कोई भूमिका नहीं होती। ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो यह कहती हैं कि सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र को समाज की कमियों को दूर करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। पर सरकार ने इस क्षेत्र पर जो नियंत्रण और सीमाएं थोपी हैं उनसे संस्थाओं के लिए लम्बे समय तक बने रहना कठिन हो गया है। इसलिए जो संस्थाएं क्षेत्र में बने रहने में अपने को कठिन पा रही हैं। क्षेत्र में मजबूती से बने रहने के लिए इन संस्थाओं के मॉडलों से सीख सकती हैं और इन्हें अपना सकती हैं तथा भविष्य की समस्याओं और बाधाओं से एकजुट होकर लड़ सकती हैं।

उन स्वैच्छिक संस्थाओं की सूची जिनसे परामर्श किया गया

शोध कार्य वाणी की टीम ने किया और सुझाव तथा विचार निम्नलिखित स्वैच्छिक संस्थाओं और विशेषज्ञों से प्राप्त किये गये।

| क्रम सं. | नाम | संस्था | राज्य |
|----------|---------------------|--|--------------|
| 1. | अमिताभ बेहर | ऑक्सफौम | नई दिल्ली |
| 2. | अनुजा बंसल | एसओएस चिल्ड्रन्स विलेजिज ऑफ इंडिया | नई दिल्ली |
| 2. | अशोक सिंह | सहभागी शिक्षण केन्द्र | उत्तर प्रदेश |
| 4. | बिनोय आचार्य | उन्नति | गुजरात |
| 5 | सी.एस.रेड्डी | आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसाइटी | आंध्रप्रदेश |
| 6 | दत्ता पाटिल | युवा रूरल एसोसिएशन | महाराष्ट्र |
| 7 | देव संधबी | दासरा | नई दिल्ली |
| 8 | जी. प्लैसिड | सहायी | केरल |
| 9 | हेमल कामत | कंसेप्ट सोसाइटी | मध्य प्रदेश |
| 10 | पूजा मारवाह | चाइल्ड रॉइट एंड यू (क्राई) | नई दिल्ली |
| 11 | राजेश टण्डन | सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया) | नई दिल्ली |
| 12 | शशि त्यागी | ग्रामीण विकास विज्ञान समिति | राजस्थान |
| 13 | वाई.बी.मल्ला रेड्डी | एक्सियन फ्राटेरना इनोलॉजी सेंटर | आंध्र प्रदेश |

विशेषज्ञ

| क्रम सं. | नाम | संस्था | देश |
|----------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1 | गोपाल राव | राव मैनेजमेंट सर्विस | यूनाइटेड किंगडम |

संदर्भ

"एडेलमन ट्रस्ट बैरोमीटर ग्लोबल रिपोर्ट", 2018

वॉलेंटरी एकशन नेटवर्क इंडिया (वाणी) "भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति" – एक अध्ययन रिपोर्ट, 2013

वादा न तोड़ो अभियान, "वायदे और वास्तविकता एनडीए सरकार के चार वर्षों की नागरिक समीक्षा रिपोर्ट 2014–2018", 2018

बोर्ड, एशियन डब्लेपमेंट "भारत की नागरिक समाज संस्थाओं पर एक नजर 2009"।

फ्रॉलिक, करेन ए. "राजस्व रणनीतियों का विविधीकरण: अलाभकारी संस्थाओं में विकसित होते संसाधन में निर्भरता"।

जॉन डब्ल्यू बाडरु, पीटर एम रामस्टड। "टेलैंटशिप, टेलैंट सेगमेंटेशन और संस्टेनेबिलिटी: एक नई रणनीति परिभाषा के लिए एक नया प्रतिमान"। विली ऑनलाइन पुस्तकालय, मई 2005।

डॉ. एम. कन्दमसामी, "भारत और विश्व में अलाभकारी संस्थाएं"।

मनोरंजन मोहन्ती, अनिल के. सिंह "वॉलेंटरिज्म एडं गर्वनमेंट: पॉलिसी, प्रोग्राम और ऐसिस्टेंस" 2001

मैथ्यू चैरिन, अनुपमा दत्ता, प्रातिक मोदी, "भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र: क्षेत्र की चुनौतियां, अवसर और अवाजें"।

डॉ. के. प्रभाकर, "भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र" चिकित्सा विज्ञान और शोध पत्रिका 2, संख्या 3 (मार्च 2014): 567–581।

प्रभाकर, काकुमानी लावन्य लता और कोटटे, "गैर-सरकारी संगठन: भारत में समस्याएं और संगठन", सर्बियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, 2011।

सची राय, "भारत में निगमित सामाजिक दायित्व का व्यय" इकॉनामिक एवं पॉलिटिकल वीकली, 2014।

वेल्स टेरी, संगठनिक दायित्व: यह क्या है: और इसका क्या महत्व है? रिव्यू ऑफ इंटरप्राज एंड मैनेजमेंट स्टडीज, नवम्बर 2013।

सिविक इंगेजमेंट एलाएंस (सीईए) का परिचय

सिविक इंगेजमेंट एलाएंस (सीईए): सीईए नीदरलैंड विदेश मंत्रालय (एमओएफए) की सहायता से संचालित एक रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम है। इस साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस साझेदारी के अंतर्गत और इसके द्वारा नागरिक समाज के संगठनों और व्यापक नागरिक समाज, भूमंडलीय दक्षिण और भूमंडलीय संदर्भ में उचित आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असमानता और अन्याय में कमी लाने में योगदान कर सकें। इस साझेदारी का केन्द्र अपने समूदाय में (उत्पादक) महिलाएं और देखरेखकर्ता तथा जरूरतों वाले उपभोक्ता हैं। सीईए कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण रास्ता नागरिक समाज के संगठनों के लिए एक सहायताकारी स्थान तैयार करना है।

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) का परिचय



वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) स्वैच्छिक संस्थाओं का एक शीर्ष निकाय है। वर्ष 1988 में स्थापित यह संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रोन्नतिकर्ता / संरक्षकर और उसकी सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करती है।

वाणी का आधार

- भारत के 25 राज्यों में फैली 15000 स्वैच्छिक संस्थाएं हैं।
- यह स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंध में प्रकाशनों, शोध, लेखों और जानकारी का एक संसाधन केंद्र है।

लक्ष्य

- एक मंच के रूप में स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देना और स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए जगह बनाना।
- एक नेटवर्क के रूप में भारत में स्वैच्छिक कार्रवाई का एक सचमुच राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने के लिए क्षेत्र के साझे मुद्दों और सरोकारों को एकीकृत करना। इसके अलावा वाणी बदलाव के एकजुट और टिकाऊ आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र के विभिन्न प्रयासों और पहलकदमियों के बीच संपर्क बनाती है।
- एक एसोसिएशन के रूप में; मूल्य आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई और विशेषकर अपने सदस्यों के बीच दीर्घकालिक टिकाऊपन को पोषित की दिशा में कार्य करना।

कार्य के क्षेत्र

- स्वैच्छिक क्षेत्र में सुशासन के तौर-तरीकों को बढ़ावा देना
- नेटवर्कों को मजबूत बनाना
- स्वैच्छिक क्षेत्र की स्वतंत्र आवाज को रूप प्रदान करना
- स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीतियों और कानूनों के संबंध में शोध और पैरवी करना।

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

वाणी हॉउस, 7, पीएसपी पॉकेट, सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली 110 077

फोन : 011-40391661, 40391663, टेलिफैक्स: 011-49148610

ईमेल: info@vaniindia.org वेबसाइट: www.vaniindia.org